



आरएसएस प्रमुख भागवत ने जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट पर चिंता जताई, कहा हर दंपति कम से कम तीन बच्चे पैदा करे

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि में गिरावट पर चिंता जताते हुए रविवार को कहा कि भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) मौजूदा 2.1 के बजाए कम से कम तीन होनी चाहिए। टीएफआर का तात्पर्य एक महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या से है।

नागपुर में ‘कठाले कुलसम्मेलन’ में उन्होंने परिवारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला और आगाह किया कि जनसंख्या विज्ञान के अनुसार, यदि किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है, तो यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में कमी गंभीर चिंता का विषय है। परिवार समाज की



नागपुर में एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते भागवत।

तेलंगाना भी दो बच्चों की नीति खत्म कर सकता है

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (ब्यूरो)।

जनसंख्या नियंत्रण पर बहस के बीच और आंध्र प्रदेश द्वारा अपनी ‘दो-बच्चा नीति’ को खत्म करने के हफ्तों बाद पड़ोसी राज्य तेलंगाना भी ऐसा ही फैसला लागू करने की तैयारी में है।

-पूरी खबर पेज 10

बुनियाद के रूप में कार्य करता है और हर परिवार अपनी-अपनी विशेषताओं और भूमिका के साथ समाज में योगदान करता है। जनसांख्यिकी

अध्ययनों से पता चलता है कि जब किसी समाज की कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे जाती है, तो उसके विलुप्त होने का खतरा होता है। इस गिरावट के लिए

अजमेर शरीफ दरगाह मामला

पूर्व नौकरशाहों ने मोदी को पत्र लिखा, कहा- ‘अवैध’ गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

एक स्थानीय अदालत की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण का आदेश देने के कुछ दिनों बाद पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उन सभी ‘अवैध और हानिकारक’ गतिविधियों को रोकने लगाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है, जो भारत की सभ्यतागत विरासत पर वैचारिक हमला हैं और एक समावेशी देश के विचार को विकृत करती हैं।

समूह ने दावा किया कि सिर्फ प्रधानमंत्री ‘सभी अवैध, हानिकारक गतिविधियों’ को रोक सकते हैं। समूह ने मोदी को याद दिलाया कि उन्होंने खुद 12वीं शताब्दी के संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर पर शांति और सद्भाव के उनके संदेश को सम्मान देते हुए चादर भेजी थी। समूह में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरेशी, सेना के पूर्व उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के पूर्व डिप्टी गवर्नर रवि वीरा गुप्ता शामिल हैं।

सम्मान देते हुए चादर भेजी थी। समूह में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरेशी, सेना के पूर्व उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह और भारतीय रिजर्व बैंक

बाकी पेज 8 पर

जिरीबाम में गोली लगने से हुई थी 10 कुकी युवकों की मौत

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (एजेंसी)।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के साथ कथित मुठभेड़ में मारे गए 10 कुकी-जो युवकों को कई गोलियां लगीं और उनमें से अधिकांश को पोछे से गोली मारी गई थी। पोस्टमार्टम रपट से यह पता चला है।

दस्तावेजों के अनुसार, एक नाबालिग सहित 10 युवकों की पहचान रामनेइलियन (29), फिमिलियन कुंग नगुर्टे (31), एल्विस लालरोर्पेई जोर्टे (21), लालथानेई (22), जोसेफ लालदिउम (19), फ्रांसिस लालजारलियन (25), रैलिनसांग

(30), लालसीमलीन हमार (30), हेनरी लालसांगलीन (25) और राबर्ट लालनटलुंग (16) के रूप में की गई। मणिपुर पुलिस ने 11 नवंबर को दावा किया कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। पोस्टमार्टम रपट में यह भी कहा गया है कि जब उन्हें असम के सिलचर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, तो

उनमें से अधिकतर छद्मवेश और खाकी पोशाक में थे। दिलचस्प यह है कि छह शव अगले दिन 12 नवंबर को एसएससीएच लाए गए, जबकि चार शव 14 नवंबर को अस्पताल लाए गए थे।

‘बांग्लादेश में भारतीय बस पर हमला’

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने आरोप लगाया कि अगरतला से कोलकाता जा रही एक बस पर बांग्लादेश में हमला किया गया। उन्होंने बताया कि यह घटना बांग्लादेश के ब्राह्मणबारिया जिले के विश्व रोड पर हुई। चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर बस की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ‘त्रिपुरा से कोलकाता जा रही श्यामोली परिवहन बस पर बांग्लादेश के ब्राह्मणबारिया में विश्व रोड पर हमला किया गया। इस घटना से बस में सवार भारतीय यात्री सहम गए। बस अपनी लेन में चल रही थी, तभी एक ट्रक ने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी।

-पूरी खबर पेज



स्वस्थ होने के बाद सतारा में एकनाथ शिंदे ने कहा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा करेगी, मेरा पूरा समर्थन



शिंदे ने पिछले सप्ताह कहा था कि शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फैसले का समर्थन करेगी। शिंदे ने रविवार को कहा कि मैं हमेशा अपने गांव आता

भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की राकांपा के महायुति गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में भारी जीत के साथ सत्ता बरकरार रखी, जिसके परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए गए।

भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को कहा कि नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पांच दिसंबर की शाम दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। अभी तक इस बात की घोषणा नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन भाजपा सूत्रों ने बताया कि दो बार

सतारा जिले में अपने पैतृक गांव दारे में पत्रकारों से बातचीत में शिंदे ने कहा कि सरकार गठन पर बातचीत चल रही है और सभी निर्णय महायुति के तीनों सहयोगियों शिवसेना, भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) द्वारा आम सहमति से लिए जाएंगे।

अपने बेटे और लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे के उपमुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर शिंदे ने कहा कि बातचीत चल रही है। अब हम तीनों गठबंधन सहयोगी सरकार गठन की बारीकियों पर चर्चा करेंगे।

हूं। जब मैंने पिछले सप्ताह ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया, तो इसमें कोई भ्रम क्यों होना चाहिए। शिवसेना नेता शुक्रवार को अपने पैतृक गांव गए थे। ऐसी अटकलें थीं कि शिंदे नई सरकार के गठन से खुश नहीं हैं, लेकिन उनके एक सहयोगी ने बताया कि वे बीमार थे।

मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस इस पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली निवर्तमान सरकार में फडणवीस उपमुख्यमंत्री थे।

शिंदे ने पिछले सप्ताह कहा था कि शिवसेना महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फैसले का समर्थन करेगी। शिंदे ने रविवार को कहा कि मैं हमेशा अपने गांव आता हूं। जब मैंने पिछले सप्ताह ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया, तो इसमें कोई भ्रम क्यों होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि भाजपा नेतृत्व द्वारा

बाकी पेज 8 पर

ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेताया

डालर इस्तेमाल नहीं किया तो लगेगा 100% शुल्क

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी डालर की जगह किसी दूसरी मुद्रा के इस्तेमाल को लेकर ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा है कि मुद्रा के रूप में ब्रिक्स देशों ने अगर डालर का इस्तेमाल नहीं किया तो अमेरिका उनपर सौ फीसद शुल्क लगा देगा।

कुछ साल से ब्रिक्स देश, विशेष रूप से रूस और चीन, अमेरिकी डालर के विकल्प के तौर पर ब्रिक्स की अपनी मुद्रा लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत, रूस, चीन और ब्राजील समेत नौ देशों



के समूह ब्रिक्स से यह वादा करने को कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। साल 2009 में स्थापित ब्रिक्स

ट्रंप ने भारत, रूस, चीन और ब्राजील समेत नौ देशों के समूह ब्रिक्स से यह वादा करने को कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे।

एकमात्र बड़ा अंतरराष्ट्रीय समूह है, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है। ब्रिक्स के अन्य सदस्य दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिश्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। बीते कुछ वर्षों में ब्रिक्स देश, विशेष रूप से रूस और चीन, अमेरिकी डालर के विकल्प के तौर पर ब्रिक्स की अपनी मुद्रा लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत अभी तक ऐसे किसी कदम में

बाकी पेज 8 पर



भारतीय मूल के काश पटेल एफबीआई निदेशक पद के लिए ट्रंप की पसंद

पेज 12

नवंबर में जीएसटी

संग्रह 8.5 फीसद बढ़ा

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

घरेलू लेनदेन से अधिक राजस्व मिलने से नवंबर में सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 8.5 फीसद बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत आईजीएसटी 91,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा।

-पूरी खबर पेज



प्रधानमंत्री ने साइबर अपराधों पर चिंता जताई, कहा विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने को ढाले पुलिस

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न संभावित खतरों, विशेष रूप से सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बाधित करने के लिए ‘डीपफेक’ की क्षमता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने पुलिस से आह्वान किया कि वह आधुनिक बने और विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप खुद को ढालें।

प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पुलिस आरक्षियों के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस थातों को संसाधन आबंटन का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मोदी ने सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा की रेखांकित किया एवं सम्मेलन के दौरान उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया।

इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मौजूदा और उभरती चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई, जिनमें



प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को एकीकृत किया जाए और देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाए।

आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आतंजन, नदीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं।

मोदी ने सुरक्षा चुनौतियों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयामों पर व्यापक चर्चा रेखांकित की और सम्मेलन के दौरान उभरी जवाबी रणनीतियों पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल

बाकी पेज 8 पर

दिल्ली में संविधान बचाओ रैली में बोले खरगे

मंदिर-मस्जिद पर भागवत की सलाह नहीं सुन रही भाजपा

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर देश की हर मस्जिद में सर्वेक्षण करकार समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा करके सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की सलाह की अवहेलना कर रहा है।

रामलीला मैदान में दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के एक संघ द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरह के सर्वेक्षणों की अनुमति देकर लोगों को एकजुट या सुरक्षित नहीं रहने देने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार या चार मीनार जैसी इमारतों को ध्वस्त करेंगे, जिनका निर्माण मुसलमानों ने कराया था?

खरगे की टिप्पणी उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मद्देनजर आई है, जहां एक मस्जिद में यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा था कि क्या वर्षों पहले वहां कोई मंदिर था। कांग्रेस अध्यक्ष ने दलितों, अल्पसंख्यकों और ओबीसी से एकजुट



कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कल लालकिला, ताजमहल, चारमीनार सब तुड़वाकर उसके नीचे कुछ दूढ़ेंगे। आज देश में हर जगह सर्वेक्षण वाले ये पता लगा रहे हैं कि कहां पहले मंदिर थे और कहां मस्जिद थी।

रहने का आह्वान किया क्योंकि तभी वे संविधान, लोकतंत्र और अपने अधिकारों की रक्षा के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि हमें हर कीमत पर एकजुट रहना होगा। समाज और यहां तक कि जातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पीड़ितों के बीच

बाकी पेज 8 पर

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा, चुनिंदा लोगों को श्रेय देने के लिए इतिहास से की गई छेड़छाड़

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि इतिहास की पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम के कुछ नायकों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि केवल चुनिंदा व्यक्तियों को श्रेय देने के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए 'बिना किसी लाग-लपेट के' ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उपराष्ट्रपति ने किसानों के साथ बातचीत के माध्यम से समस्याओं के समाधान के लिए काम करने की भी अपील की। राजा महेंद्र प्रताप के 138वीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने कहा कि देश ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले लोगों को 'चांदुकार बता कर अपने

न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, कर्जमुक्ति समेत लंबित मांगों का मामला

छह दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान, रोज आठ घंटे पैदल चलेंगे

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली। चंडीगढ़, 1 दिसंबर।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)की कानूनी गारंटी, कर्जमुक्ति समेत लंबित मांगों के समर्थन में 13 फरवरी से आंदोलनरत किसानों ने छह दिसंबर को एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। किसानों का जत्था शंभु सीमा से जरूरी सामान के साथ शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच के लिए पैदल रवाना होगा। उधर, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड और तमिलनाडु के किसानों को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने रविवार को चंडीगढ़ में संवाददाताओं को बताया कि छह

‘बांटने वालों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत’

जम्मू, 1 दिसंबर (भाषा)।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों के खिलाफ एकजुट लड़ाई का रविवार को आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि देश में हालात अच्छे नहीं हैं। महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आझाद, सरदार (वल्लभभाई) पटेल, आंबेडकर जैसे नेताओं ने इस देश को हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के

जनसत्ता

क्लासीफाइट

व्यक्तिगत

I Pawanjeet Kaur Sawhney wife of Ankit Sachdeva R/o Flat No 77 The Regal CGHS Ltd Plot No 24/2 Sector 9 Rohini Delhi 110085 have changed my name to Pawan Jeet Kaur

00502556265-1

I,DEVENDER KUMAR,S/O MOHAN LAL,R/O,H.NO-603/A,STREET,N.O-6,HAIDER PUR,NORTH-WEST DELHI-110088,have changed the name of my minor daughter MUSHKAN alias MUSKAN aged-12-year and she shall hereafter be known as MUSKAN. 0040761686-1

I, Suresh Chand Satija S/O Ganga Ram, R/o 144-145, S/F,Street No-7/7, South Anarkali, Krishna Nagar, East Delhi, Delhi-110051, have changed my name and shall hereafter be Known as Suresh Chand. 00709376865-1

I, Savita Baiyan W/o Dushyant Kumar Balyan R/o Flat-1, 5thfloor, Isha Apartment, Meerut have changed my name to Savita Balyan for all purposes. 0070937709-1

I, Dushyant Kumar Baiyan S/o Kanhal Singh R/o Flat-1, 5thfloor, Isha Apartment, Meerut have changed my name to Dushyant Kumar for all purposes. 00709377616-1

I,ASMA ALAM KHAN,D/o Anwar Alam Khan,R/o 406,Tower-Z,Amrapali Silicon City-Sector-76,NOIDA,Uttar Pradesh-201304,have changed my name to ASMA ALAM,for all future purposes. 00407616668-1

I MOHAMMED MUSTAFA S/O FARID MIAH R/O NO-5,UPPER G/F BACK SIDE, BLOCK-B,SHIV VIHAR VIKAS NAGAR, UTTAM NAGAR, DELHI-110059. HAVE CHANGED MY NAME TO MD MUSTAFA FOR ALL PURPOSES 0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

0130047053-1

www.readwhere.com

This advertisement is for information purposes only and does not constitute an offer or an invitation or a recommendation to purchase, hold or sell securities. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated **November 19, 2024** (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the stock exchange, namely BSE Limited ("BSE").



NHC FOODS LIMITED

Our Company was incorporated in the name of “Midpoint Software & Electro Systems Limited” on August 04, 1992, in Mumbai, Maharashtra, as a Public Limited Company under the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies – Mumbai, Maharashtra. A certificate of commencement of business was granted to our Company on August 12, 1992 by Registrar of Companies – Mumbai, Maharashtra. Pursuant to the scheme of amalgamation under Section 391-394 and other relevant provisions of the Companies Act, 1956, NHC Industries Private Limited has been merged with our Company with effect from September 07, 2010. Subsequently, the name of our Company was changed to NHC Foods Limited pursuant to a certificate of incorporation dated October 15, 2010 issued by the Registrar of Companies – Mumbai, Maharashtra. For details of change in the name and registered office of the Company, refer chapter titled “General Information” on page 38

Registered Office: Survey No. 777, Umarsadi Desaiwad Road, Village Umarsadi, Taluka Pardi, Valsad - 396175, Gujarat, India
Corporate Office: 419/420, C Wing, Atrium 215, Andheri-Kurla Road, Chakala, Andheri East, J. B. Nagar, Mumbai – 400059, Maharashtra, India **Contact Person:** Mrs. Alesha Hakim Khan, Company Secretary & Compliance Officer;
Tel No: +91 8104472565 **E-Mail ID:** cs@nhcgroup.com; **Website:** www.nhcgroup.com **CIN:** L15122GJ1992PLC076277

OUR PROMOTER: APOORVA HIMATLAL SHAH

FOR PRIVATE CIRCULATION TO ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS OF NHC FOODS LIMITED (“THE COMPANY” OR “THE ISSUER”) ONLY

ISSUE OF UP TO 47,42,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹1/- (RUPEE ONE ONLY) (“RIGHTS EQUITY SHARES”) EACH AT A PRICE OF ₹1/- PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹4,742.00 LAKHS⁽¹⁾ ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 4 (FOUR) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, TUESDAY, NOVEMBER 26, 2024 (“THE ISSUE”). FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE CHAPTER TITLED “TERMS OF THE ISSUE” BEGINNING ON PAGE 214 OF THIS LETTER OF OFFER.

⁽¹⁾Assuming full subscription

NOTICE TO THE ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

ISSUE PROGRAMME *

**ISSUE OPENS ON
THURSDAY, DECEMBER 05, 2024**

LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION
THURSDAY, DECEMBER 12, 2024**

ISSUE CLOSES ON*
WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2024**

* Pursuant to the SEBI Circular on Rights Issue dated 22 January 2020 – Rights Issue Circular, SEBI has introduced the concept of credit of Rights Entitlements into the demat accounts of the Eligible Public Shareholders, which can be renounced by them by way of On Market Renunciation or Off Market renunciation. Further, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made only in dematerialised form.
** Eligible Public Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat accounts of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.
*** Our Board / Rights Issue Committee thereof will have the right to extend the Issue Period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open in excess of 30 days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*

**Simple, Safe, Smart way of
Application-Make use of it!!!**

***Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For further details check section on ASBA below.**

Process for Application in this Issue: In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, SEBI Rights Issue Circulars and ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details, refer “Procedure for Application through the ASBA Process” on page 227 of the Letter of Offer (“LOF”).

ASBA facility: Investors can submit either the Application Form in physical mode to the Designated Branch of the SCSBs or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) authorizing the SCSB to block the Application Money in an ASBA Account maintained with the SCSB. Application through ASBA facility in electronic mode will only be available with such SCSBs who provide such facility.

Investors applying through the ASBA facility should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through the ASBA process. For details, see “Procedure for Application through the ASBA Process” on page no. 227 of the LOF. Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of SEBI Circular CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs.

Further, in terms of the SEBI Circular CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

Applicants should note that they should very carefully fill-in their depository account details and PAN in the Application Form or while submitting application through online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB). Please note that incorrect depository account details or PAN or Application Forms without depository account details shall be treated as incomplete and shall be rejected. For details see “Grounds for Technical Rejection” beginning on page 234 of the Letter of Offer. The Company, the Lead Manager, the Registrar and the SCSBs shall not be liable for any incomplete or incorrect demat details provided by the Applicants.

Additionally, in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, Investors may choose to accept the offer to participate in this Issue by making plain paper Applications. Please note that Eligible Public Shareholders making an application in this Issue by way of plain paper applications shall not be permitted to renounce any portion of their Rights Entitlements. For details, see “Application on Plain Paper under ASBA process” beginning from page 228 of the letter of offer.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmid=34>. **ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS UNDER THE ASBA PROCESS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH ASBA APPLICANT ON THE RECORD DATE. FOR DETAILS, SEE “ALLOTMENT ADVICE OR REFUND/ UNBLOCKING OF ASBA ACCOUNTS” ON PAGE 238 OF THE LOF.**

APPLICATION ON PLAIN PAPER: An Eligible Public Shareholder who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to the Issue on plain paper. An Eligible Public Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB.

Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India. Please note that the Eligible Public Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently. The application on plain paper, duly signed by the Eligible Public Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of the Company: “NHC FOODS LIMITED”; 2. Name and address of the Eligible Public Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with the Company or the Depository); 3. Registered Folio No./DP and Client ID No.; 4. Number of Equity Shares held as on Record Date; 5. Allotment option – only dematerialised form; 6. Number of Rights Equity Shares entitled to; 7. Total number of Rights Equity Shares applied for; 8. Number of additional Rights Equity Shares applied for, if any; 9. Total number of Rights Equity Shares applied for; 10. Total amount paid at the rate of ₹1/- for each Rights Equity Shares issued; 11. Details of the ASBA Account such as the account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 12. In case of non-resident Eligible Public Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account such as the account number, name, address, branch of the SCSB with which the account is maintained and a copy of the RBI approval obtained pursuant to Rule 7 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, 13. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Public Shareholder and for each Eligible Public Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Rights Equity Shares applied for pursuant to this Issue; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Signature of the Eligible Public Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and 16. In addition, all such Eligible Public Shareholders are deemed to have accepted the following:

“I/ We understand that neither the Rights Entitlement nor the Equity Shares have been, or will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”) or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (the “United States”) except in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/ we understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/ we understand that this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/ we understand that none of the Company, the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar, the Lead Managers or any other person acting on behalf of the Company has reason to believe is in the United States, or if such person is outside India and the United States, such person is not a corporate shareholder, or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction. I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation 5 under the US Securities Act (“Regulation S”), or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/ are outside the United States, and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S.

I/ We acknowledge that the Company, the Lead Manager, their affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements.” In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected. Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with the Company, the Lead Manager and the Registrar not having any liability to the Investor.

I/ We acknowledge that the Company, the Lead Manager and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investors’ ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.”

NOTICE TO INVESTORS: The distribution of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlements Letter and any other Issue material and the issue of Rights Entitlements and the Rights Equity Shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India is restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Persons into whose possession the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form or the Rights Entitlements Letter may come, are required to inform themselves about and observe such restrictions.

Further, the Letter of Offer will be provided, by the Company to any existing Shareholder who make a request in this regard. Investors can also access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form from the websites of the Registrar, the Company, the Stock Exchange and Lead Manager to the issue.

NO OFFER IN THE UNITED STATES: The Rights Equity Shares or Rights Entitlements have not been recommended by any U.S. federal or state securities commission or regulatory authority. Furthermore, the foregoing authorities have not confirmed the accuracy or determined the adequacy of the Draft Letter of Offer, Letter of Offer and the CAF. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States. The rights and securities of the Company, including the Rights Equity Shares and Rights Entitlements have not been and will not be registered under the United States Securities Act, 1933, as amended (the “Securities Act”), or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or the territories or possessions thereof (the “United States” or “U.S.”) or to, or for the account or benefit of, “U.S. persons” (as defined in Regulation S under the Securities Act (“Regulation S”), except in a transaction exempt from the registration requirements of the U.S. Securities Act. The Rights Equity Share referred to in the Letter of Offer are being offered in India, but not in the United States. The offering to which this Letter of Offer relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said securities or rights. Accordingly, this Letter of Offer/ Abridged Letter of Offer and the enclosed CAF should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time.

Neither our Company nor any person acting on behalf of our Company will accept subscriptions or renunciation from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who our Company or any person acting on behalf of our Company has reason to believe is in the United States when the buy order is made. Envelopes containing an Application Form and Rights Entitlement Letters should not be postmarked in the United States or otherwise dispatched from the United States or any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer, and all persons subscribing for the Right Entitlements or the Rights Shares and wishing to hold such Rights Shares are registered form must provide an address for registration of the Equity Shares in India.

Any person who acquires Rights Entitlements and the Rights Equity Shares will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed, (i) that it is not and that at the time of subscribing for the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, it will not be, in the United States when the buy order is made, (ii) it is not a U.S. person (as defined in Regulation S), and does not have a registered address (and is not otherwise located) in the United States, and (iii) is authorized to acquire the Rights Entitlements and the Rights Equity Shares in compliance with all applicable laws and regulations.

Our Company and the Lead Manager are not making, and will not make, and will not participate or otherwise be involved in any offers or sales of the Rights Entitlements, the Rights Equity Shares or any other security with respect to this Issue in the United States. Our Company, in consultation with the Lead Manager, reserves the right to treat as invalid any Application Form which: (i) appears to our Company or its agents to have been executed in or dispatched from the United States of America; (ii) does not include the relevant certification set out in the Application Form headed “Overseas Shareholders” to the effect that the person accepting and/or renouncing the Application Form does not have a registered address (and is not otherwise located) in the United States of America, and such person is complying with laws of the jurisdictions applicable to such person in connection with the Issue, among others; or (iii) where our Company believes that the Application Form is incomplete or the acceptance of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements; or (iv) where a registered Indian address is not provided, and our Company shall not be bound to issue or allot any Rights Equity Shares in respect of any such Application Form. Rights Entitlement may not be transferred or sold to any person in the United States of America.

The above information is given for the benefit of the Applicants / Investors. The Company and the Lead Manager are not liable for any amendments or modification or changes in applicable laws or regulations, which may occur after the date of the Letter of Offer. Investors are advised to make their independent investigations and ensure that the number of Rights Equity Shares applied for do not exceed the applicable limits under laws or regulations.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE PUBLIC SHAREHOLDERS: Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Public Shareholders have been credited in their respective demat account under the **ISIN - INE141C20010**, by November 29, 2024.

Eligible Public Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar <https://www.skylinerta.com/> by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Public Shareholders holding Equity Shares in physical form). The link for the same shall also be available on the website of the Company (www.nhcgroup.com).

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is **Wednesday, December 18, 2024**, i.e., Issue Closing Date. The Board of Directors/ Right Issue Committee may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by the Right Issue Committee/ Board, the invitation to offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to have been declined and the Right Issue Committee shall be at liberty to dispose of the Rights Equity Shares hereby offered, as provided under the section, “Basis of Allotment” on page 237 of the LOF.

Please note that on the Issue Closing Date, Applications through ASBA process will be uploaded until **5.00 p.m.** (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

ALLOTMENT ONLY IN DEMATERIALISED FORM: The Allotment of Equity Shares pursuant to the Issue will only be made in dematerialized form. In accordance with SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, the credit of Rights Entitlement and the Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialized form only. Accordingly, the Rights Entitlement of Physical Shareholders has been credited in the suspense escrow demat account opened in the name and style of “**NHC FOODS LIMITED RIGHTS ISSUE SUSPENSE ESCROW DEMAT ACCOUNT**”. Eligible Public Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or the Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date, to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat account at least one day before the Issue Closing Date. The Rights Entitlement of the Physical Shareholders who do not furnish the details of their demat account to the Registrar not later than two Working Days prior to the Issue Closing Date, shall lapse. **For further details, see “Terms of Issue – Procedure for Application on page 225 of the LOF and “Terms of Issue – Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Public Shareholders” on page 217 of the LOF.**

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

LISTING: The existing Equity Shares of the Company are listed on BSE Limited (“BSE”). The Company has received “in-principle” approval from BSE for listing of the Rights Equity Shares to be allotted in this Issue pursuant to letter dated October 25, 2024. The Company shall make application to BSE to obtain trading approval for the Rights Entitlements as enshrined under the SEBI circular bearing reference number “SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020”. For the purpose of this issue, BSE shall be the Designated Stock Exchange.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that submission of the letter of offer to the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. SEBI does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme or the project for which the issue is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the Disclaimer as provided in “Other Regulatory and Statutory Disclosures – Disclaimer Clause of SEBI” on page 211 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the letter of offer has been cleared or approved by BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the letter of offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of the Disclaimer clause of the BSE Limited on Page 212 of the LOF.

INVESTORS ARE ADVISED TO REFER THE LOF, ALOF, AND THE RISK FACTORS CONTAINED THEREIN BEFORE APPLYING IN THE ISSUE.

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with the SEBI ICDR Regulations and relevant SEBI circulars on Rights Issue, the Company has sent/ dispatched, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter, Application Form and other issue material (i) only to e-mail addresses of the resident Eligible Public Shareholders who have provided their e-mail addresses; (ii) physical delivery only to the Indian address of resident Eligible Public Shareholders, on a reasonable effort basis, whose e-mail addresses are not available with our Company or the Eligible Public Shareholders have not provided the valid email address to our Company; (iii) physical delivery only to the Indian addresses of the non- resident Eligible Public Shareholders, on a reasonable effort basis, who have provided an Indian address to our Company or to their email addresses; and (iv) to the e-mail addresses of the foreign corporate or institutional shareholders, and in each case who make a request in this regard. The dispatch was completed by November 30, 2024.

The Letter of Offer will also be provided by the Company to any existing Shareholder who makes a request in this regard.

Please note that Eligible Public Shareholders, in order to update the respective Indian addresses/ email addresses/ mobile numbers in the records maintained by the Registrar or the Company, should visit www.skylinerta.com. Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Public Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws) on the websites of:




- The Company at www.nhcgroup.com;
- the Registrar at www.skylinerta.com;
- the Lead Manager at www.finsshoregroup.com;
- the Stock Exchange at www.bseindia.com

Eligible Public Shareholders can obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (www.skylinerta.com) by entering their DP ID and Client ID or Folio Number (in case of Eligible Public Shareholders holding Equity Shares in physical form) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of the Company (www.nhcgroup.com).

Further, the Company along with the Lead Manager will undertake all adequate steps to reach out the Eligible Public Shareholders who have provided their Indian address through other means, as may be feasible. The Company and the Lead Manager and the Registrar will not be liable for non-dispatch of physical copies of Issue materials, including the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form or delay in the receipt of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form attributable to non-availability of the email addresses of Eligible Public Shareholders or electronic transmission delays or failures, or if the Application Forms or the Rights Entitlement Letters are delayed or misplaced in the transit.

OTHER IMPORTANT LINKS AND HELPLINE: The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

- Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: grievances@skylinerta.com
- Updation of Email address/ mobile number in the records maintained by the Registrar: grievances@skylinerta.com
Updation of Indian address in the records maintained by the Registrar or our Company by email to grievances@skylinerta.com
- Updation of demat account details by Eligible Public Shareholders holding shares in physical form: grievances@skylinerta.com
- Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non- resident Eligible Public Shareholders: grievances@skylinerta.com/ kyc@skylinerta.com

| LEAD MANAGER TO THE ISSUE | | REGISTRAR TO THE ISSUE | | COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER | |
|---|--|---|--|---|--|
|  Finshore Management Services Limited “Anandlok”, Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227 A.J.C Bose Road, Kolkata-700020, West Bengal, India Telephone: +91 33 2289510; E-mail: info@finsshoregroup.com ; Investor grievance E-mail: investors@finsshoregroup.com ; Website: www.finsshoregroup.com ; Contact person: Mr. S. Ramakrishna Iyengar; SEBI Registration No.: INN000012185; CIN: U74900WB2011PLC169377 | |  Skyline Financial Services Private Limited D-153A, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Telephone: 011-40450193-197; Fax: 011-26812683; Email: ipo@skylinerta.com ; Website: https://www.skylinerta.com/ Investor Grievance Email Id: grievances@skylinerta.com , Contact Person: Mr. Anuj Rana; SEBI Registration No: INR000003241; CIN: U74899DL1995PTC071324 | |  NHC Foods Limited Registered Office: Survey No. 777, Umarsadi Desaiwad Road, Village Umarsadi, Taluka Pardi, Valsad - 396175, Gujarat, India Corporate Office: 419/420, C Wing, Atrium 215, Andheri-Kurla Road, Chakala, Andheri East, J. B. Nagar, Mumbai – 400059, Maharashtra, India Contact No.: +91 8104472565 Contact Person: Mrs. Alesha Hakim Khan E-mail ID: cs@nhcgroup.com Website: www.nhcgroup.com | |

Investors may contact the Registrar to the Issue and/or the Company Secretary and Compliance Officer and/or Lead Manager to the issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non- receipt of letters of allotment, credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or refund orders, etc.

Place: Mumbai
Date: November 30, 2024
NHC Foods Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a rights issue of its Equity Shares to its eligible public shareholders and has filed the LOF with the Stock Exchanges. The LOF shall be available on the websites of SEBI and BSE at www.sebi.gov.in and www.bseindia.com, respectively. The LOF will be available on the website of the Registrar to the Issue at www.skylinerta.com. Potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the section titled “Risk Factors” on page 19 of the LOF. The securities offered via the Letter of Offer are not being offered to investors outside of India and recipients of the Letter of Offer should refer to the offering restrictions noted therein.

For NHC Foods Limited
Sd/-

Alesha Hakim Khan
Company Secretary & Compliance Officer

सुस्त रफ्तार

जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के दावों के बीच चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर 5.4 फीसद रहने के आंकड़े स्वाभाविक रूप से निराशाजनक हैं। हालांकि जुलाई-सितंबर की तिमाही में अक्सर विकास दर सुस्त देखी जाती है, मगर आर्थिक संगठनों और खुद सरकार ने इसके करीब सात फीसद के आसपास रहने का अनुमान लगाया था। अब कहा जा रहा है कि अगली छमाही में विकास दर अच्छी रहेगी। अक्तूबर-दिसंबर की तिमाही चूँकि त्योहारी मौसम की होती है, इसलिए इसमें वृद्धि देखी ही जाती है। मगर ताजा आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद को लेकर चिंता पैदा करते हैं। दूसरी तिमाही में सबसे बुरी गत विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र की रही। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 2.2 फीसद दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.3 फीसद थी। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की 13.6 फीसद से घट कर 7.7 पर पहुंच गई। इसी तरह आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर घट कर 3.1 फीसद रह गई, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 12.7 फीसद थी। कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों में मामूली वृद्धि को छोड़ दें, तो ज्यादातर क्षेत्रों में विकास दर सुस्त ही दर्ज हुई है।

इस सुस्ती के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि रेपो दर ऊंची रहने और महंगाई पर काबू न पाए जा सकने की वजह से उपभोक्ता व्यय घटा है। इसके अलावा राजस्व घाटा कम करने के उद्देश्य से सरकारी व्यय भी कम कर दिया गया है। इसका असर सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ा है। मगर फिलहाल इन स्थितियों में सुधार की बहुत संभावना फिर नहीं आती। विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर सुस्त रहने का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर लोगों के सामने रोजगार का संकट बढ़ा है। यही क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। रोजगार और लोगों की कमाई घटने का स्वाभाविक असर उपभोक्ता व्यय पर पड़ता है। लोग केवल जरूरी चीजों की खरीद करते हैं, विलासिता की ओर टिकाऊ कही जाने वाली वस्तुओं की खरीद कम होने लगती है। स्वाभाविक ही इससे उत्पादन घट जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पिछले नौ-दस वर्षों में लोगों की मजदूरी और औसत वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लंबे समय से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जब तक लोगों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक आर्थिक विकास के सारे उपाय तदर्थ ही साबित होंगे।

अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ अन्य पहलुओं पर भी संतुलन साधने की जरूरत होती है। निर्यात के मामले में लगातार निराशाजनक तस्वीरें आती रही हैं। चीन आदि देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहा है। इसी तरह, बेशक जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी के आंकड़े दर्ज हो रहे हों, पर हकीकत में राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। इस पर काबू पाने के लिए सरकारी व्यय में कटौती करनी पड़ रही है। जिस तरह विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी आ रही है, उससे जाहिर है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सिकुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में विकास परियोजनाओं पर भी बुरा असर पड़ेगा। आर्थिक विकास के ताजा आंकड़े सरकार के लिए चेतावनी हैं कि उसे तदर्थ और अव्यावहारिक उपायों के बजाय बुनियादी कमजोरियों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसमें रोजगार और लोगों की आय में बढ़ोतरी के अवसर पैदा करने होंगे।

हकदार बनाम हकमार

अगर करोड़ों की कीमत वाली बीएमडब्लू कार और घर में वातानुकूलित यंत्रों का इस्तेमाल करने वाले भी गरीब और वंचित तबकों के लिए निर्धारित सहायता का लाभ उठाने से नहीं हिचकते, तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है ? यह न केवल प्रशासनिक ढांचे में घुले भ्रष्टाचार का उदाहरण है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि एक समुदाय में समृद्ध या सुविधा-संपन्न माने जाने वाले लोग बहुत कम पैसों के लिए नैतिकता को ताक पर रख सकते हैं, कमजोर तबकों का हक चुराने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। गौरतलब है कि केरल में वित्त आयोग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के संबंध में एक समीक्षा की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि बीएमडब्लू कारों के मालिक और वातानुकूलित मकानों में रहने वाले लोग भी इस पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। राज्य में राजपत्रित अधिकारियों और कालेज के प्रोफेसरों समेत करीब डेढ़ हजार सरकारी कर्मचारियों के फर्जी तरीके से सामाजिक सुरक्षा पेंशन हासिल करने की खबरों से लोगों में स्वाभाविक नाराजगी है।

निश्चित रूप से यह गलत तरीके से लाभ उठाने वालों के साथ राज्य के प्रशासनिक तंत्र के कुछ अधिकारियों और वातानुक्रितियों की मिलीभगत का नतीजा है। मगर सवाल है कि यह घोटाला कितने समय से और किसके संरक्षण में चलता रहा! केरल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना गरीब तबकों के लिए शुरू की थी। इसके तहत बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को हर महीने सोलह सौ रुपए दिए जाते हैं। मगर भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर कुछ समृद्ध लोगों ने समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीबों का हक चुराने में कोई संकोच नहीं किया। दरअसल, केरल के बारे में सामान्य धारणा यही है कि वहां तंत्र के स्तर पर भ्रष्टाचार के उदाहरण कम मिलते हैं और वहां का समाज भी अपेक्षया ईमानदार है। यह एक आम तस्वीर हो सकती है, मगर घोटाले का ताजा मामला यही दर्शाता है कि राज्य के प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त या उसकी अनदेखी करने वाले लोग भी इतना प्रभाव रखते हैं कि करीब डेढ़ हजार लोग अनुचित और अवैध तरीके से वास्तविक जरूरतमंदों की हकमारी कर रहे थे।

विकास में सहभागिता से दूर युवाशक्ति

इस समय युवा पीढ़ी लगातार उपेक्षित है। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता है। इसीलिए उनमें से कई युवा देश से पलायन का रास्ता भी तलाशते हैं। वे वैध-अवैध तरीकों से विदेश चले जाना चाहते हैं।

सुरेश सेठ

हमारे देश की आधी आबादी काम करने योग्य युवाओं की है। इस समय भारत की आबादी चीन को पछाड़ कर दुनिया में सबसे अधिक हो चुकी है। इस आबादी में कितनी युवा शक्ति हमारे पास सुरक्षित है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। विसंगति यह है कि हमारा देश पड़ोसी देशों में तेजी से बूढ़ी होती हुई आबादी से घिरा हुआ है। चीन की दिक्कत है कि वहां प्रजनन दर इतनी कम हो गई है कि बुजुर्गों की संख्या युवाओं पर भारी हो रही है। अपनी कार्ययोग्य आबादी को चाक-चौबंद रखने के लिए चीन ने ‘हम एक हमारा एक’ का नारा छोड़ कर अधिक संतान पैदा करने के लिए अपने नागरिकों को प्रेरित किया है। हमारे देश में परिवार नियोजन एक अभियान के रूप में चल रहा है। थोड़ी-सी प्रजनन दर कम भी हुई है, लेकिन फिर भी प्रभावी युवा शक्ति की देश में कमी नहीं। मगर दुखद यह कि युवाओं को यथोचित रोजगार नहीं मिलता। उन्हें अनुकंपा से बहलाया जाता है।

देश में मुफ्तखोरी बनाम ‘शार्टकट संस्कृति’ धीरे-धीरे पनप रही है। नौजवानों में नैतिक मूल्यों का तेजी से क्षरण हो रहा है। ‘सब चलता है’ का सूत्र वाक्य उनकी मनोवृत्ति पर हावी हो गया है। कोई भी लालफीताशाही से जुड़ा हुआ आम करवाना हो, तो बिचौलियों या दलालों की मदद लेनी पड़ती है। एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में सामने आया था कि यहां लोग काम की जगह आराम करना पसंद करते हैं। अलबत्ता, तरक्की करने के नारे उन्हें बहुत पसंद हैं। इनका बार-बार उत्सव मनाने से वे चूकते नहीं। ये उत्सव उन्हें सच लगे, इसलिए उनकी पेशकश पर मिथ्या आंकड़ों की मीनाकारी भी कर दी जाती है। उन्हें देश की उपलब्धियों के बारे में भाषण सुनना बहुत पसंद है। इस समय युवा पीढ़ी लगातार उपेक्षित है। उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आता है। इसीलिए उनमें से कई युवा देश से पलायन का रास्ता भी तलाशते हैं। वैध-अवैध तरीकों से विदेश चले जाना चाहते हैं। जो नहीं जा पाते, उन्हें हथियार और नशे के सौदागर तथा आतंकवाद को पालने-पोसने वाले आकर्षक जिंदगी का लोभ देकर अपनी ओर खींचते हैं और बाकी बचे लोगों में से अधिकांश युवा अवसादग्रस्त हो जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में युवकों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि उनकी भूखा न मरने देने की गारंटी तो मिली है, लेकिन उनके हाथों की यथोचित काम या रोजगार का भरोसा नहीं मिला।

पिछली बार प्रधानमंत्री ने लालकिले से देश की युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए आह्वान किया था। अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि युवाओं को नया देश बनाने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। प्रधानमंत्री का लक्ष्य अभी एक लाख नौजवानों को राजनीति से जोड़ उसका रंग-ढंग बदल कर निर्माणात्मक राजनीति बना देने का है। इसके लिए उन्होंने एक नया कार्यक्रम शुरू करने का संकल्प भी लिया है। इसके लिए ग्यारह-बारह जनवरी को दिल्ली में ‘विकसित भारत युवा नेता संवाद’ होगा, जिसमें नौजवानों को उनके



अतीत से या स्वाधीनता संग्राम के बलिदानियों की कहानियों से प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत बहुत समृद्ध और राष्ट्रीयता को समर्पित है। हम इसे नौजवानों के लिए संरक्षित करेंगे, ताकि वे भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ सकें। प्रधानमंत्री ने नौजवानों से

युवाओं को अवसर अवश्य मिलना चाहिए। ऐसे निश्चित कायदे बनाए जाएं कि उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त हो। नौजवान जब अपनी शिक्षा समाप्त कर जीवन समर में उतरे, तो उसके पीछे शोषण के सारे भयभीत करने के लिए न लगे हों। इस समय यह स्थिति है कि युवा शक्ति को तरक्की का सही मार्ग नहीं दिखाता। विद्यालयों में उनकी शिक्षा संदर्भ से अलग होती जा रही है और वे अपने आप को इस डिजिटल व्यवस्था में नाकाम पाते हैं। जरूरत है देश में शिक्षा व्यवस्था और पाठ्य पुस्तकों में बुनियादी परिवर्तन की, बदलते समय के साथ सही मार्गदर्शन देने की। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।

उभरते-संवर्तते भारत के लिए अपना योगदान देने के लिए कहा है। यह योगदान राजनीति में होगा, तो आज की आपाधापी से युक्त

ज्ञानेंद्रियों की यात्रा

अनिल त्रिवेदी

मनुष्यों को जन्म के साथ ही प्राकृतिक रूप से वाणी मिलती है। मनुष्येतर अन्य जीवों को भी वाणी तो किसी न किसी रूप में मिलती ही है, पर मनुष्यों ने जिस रूप स्वरूप में वाणी द्वारा भाषाओं और संगीत को अपने जीवन को अभिव्यक्त करने वाले साधन के रूप में विस्तार दिया, यह बिंदु मानव सभ्यता के विकास और विस्तार का मूल है। मनुष्यों द्वारा अपने मुख से निकली ध्वनि के माध्यम से वाणी को विभिन्न भाषाओं में विकसित करना पृथ्वी के मनुष्यों का सबसे बड़ा सामूहिक कृतित्व, क्षमता या पराक्रम माना जा सकता है। वाणी, बुद्धि और विवेक के साथ ही सुनने की क्षमता अगर मनुष्य के पास न हो, तो मनुष्य बोल ही नहीं पाता। हालांकि यह क्षमता भी किसी में सामान्य, तो कहीं अलग-अलग तरीके से अमूमन सभी जीवों में होती है। वाणी होते हुए भी मनुष्य बोलना न चाहे या मौन रहना चाहे तो यह भी मनुष्य की अपनी प्राकृतिक शक्ति है।

यही बात या ध्वनि सुनने को लेकर भी है। श्रवणेंद्रिय सुनने के लिए है, पर सुनना न सुनना यह मनुष्य की इच्छा पर है। कई बार हम कुछ सुन तो रहे होते हैं, मगर उसकी ग्राह्यता पर हमारा ध्यान नहीं होता, इसलिए वह न सुनने के बराबर हो जाता है। आंखें देखने के लिए हैं, जिसे हम दृष्टि की संज्ञा देते हैं, पर इस देखने की क्षमता से अलग मनुष्य के पास एक अंतर्दृष्टि भी होती है, जिसे मन की आंखों से देखा, सोचा या प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। अंतर्दृष्टि के लिए न तो प्रकाश की जरूरत होती है, न आंखों की, केवल सोच-समझ और कल्पना शक्ति से निराकार रूप से सारा कुछ सोचा, समझा और मन ही मन प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। साकार चीजें देखने के लिए इंद्रियों की या ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता जरूरी है। पर निराकार कल्पना मन और बुद्धि का खेल है।

प्रकृति प्रव्रत ज्ञानेंद्रियों और मनुष्य की सृजनात्मक और विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों की निरंतर जुगलबंदी ने आज की दुनिया को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जहां तक पहुंच कर हम समूची सभ्यता की सृजनात्मक शक्ति बढ़ा और नष्ट-भ्रष्ट भी कर सकते हैं। अब वापस फिर प्रागैतिहासिक सभ्यता में कोई एक व्यक्ति या समूचा मानव जगत भी नहीं पहुंच सकता। फिर भी आदिम से लेकर आज तक की कई सभ्यताएं एक साथ इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं अपने मूल अस्तित्व को बचाए रखने का अंतहीन संघर्ष करती दिखाई पड़ सकती है। मनुष्य कृत सभ्यताओं की समूची कहानी मनुष्य के सोच, विचार और कृतित्व का कमाल है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक और भविष्य में भी

पढ़े-लिखे और बिना पढ़े-लिखे या निरक्षर मनुष्य। ज्ञान मनुष्य समाज को निश्चित ही विकसित करने में मदद करता है, पर अज्ञात और अज्ञान भी मनुष्य समाज को और अधिक खोजने की दिशा में प्रेरित करता है। इसे प्रकारंतर से ज्ञान का हिस्सा माना जाना चाहिए कि व्यक्ति के भीतर इतना विवेक है कि वह कुछ नया खोजने की ओर प्रवृत्त होता है। ज्ञान, अज्ञान और अज्ञात- तीनों को ही समूची मानवीय सभ्यता की मूल आधारभूमि की तरह से ही समझा, सोचा और माना जा सकता है। मानव सभ्यता ज्ञानेंद्रियों और मनुष्य निर्मित अंतहीन विचारों की अनेखी शृंखला हैं, जो साकार और निराकार जगत की चेतना से सदियों से मानव सभ्यता की तरंगों की आगे भी बढ़ा रहा है और कालक्रमानुसार लुप्त भी कर रहा है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

इंसाफ का इंतजार

‘मु कदमों का बोझ और न्याय की गति’ (लेख, 29 नवंबर) में सही मुद्दा उठाया गया है। कोई दो राय नहीं कि न्यायिक और पुलिस प्रशासन भी समन्वय जरूरी है। मुकदमों का बोझ और न्याय की गति में घनिष्ठ संबंध है अर्थात जितनी तेज गति से न्याय होगा, मुकदमों का भार खुद ही कम होता जाएगा। पीड़ितों को न्याय होता दिखना भी चाहिए अन्यथा न्यायालयों से विश्वास उठने लगेगा। न्याय में विलंब होना सचमुच चिंता का विषय है। न जाने कितने ऐसे मुकदमे हैं जिनका बरसों से निपटारा नहीं हुआ है। यही वजह है कि इंसाफ के लिए मुकदमे लड़ रहे रहे लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। उनका न्यायालय से भरोसा डगमगाने लगता है। यह स्वाभाविक ही है, लेकिन विर्लंबित न्याय के लिए सिर्फ अदालतों को ही जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पुलिस और अभियोजन का सहयोग तथा न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या के बिना समय पर ईनाफ मिलना संभव नहीं है। शासन की जवाबदेही है कि जजों के रिक्त पदों की पूर्ति प्राथमिकता से की जाए। पुलिस प्रशासन में सियासी हस्तक्षेप समाप्त हो, तभी न्याय प्रणाली में किए जा रहे सुधार कारगर होंगे। नहीं तो स्थिति यथावत ही रहेगी।

- बीएल शर्मा ‘अकिंचन’ उज्जैन

विपक्ष की भूमिका

विपक्षी दल चाहते हैं कि न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका में रहे। मगर यह कैसे संभव है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है न्यायपालिका कानून की समीक्षा करने के लिए है। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि संसद या विधानसभाओं की तरह विपक्ष जैसी भूमिका न्यायपालिका भी निभाएगी। प्रधान न्यायाधीश का यह कहना सही है कि न्यायपालिका का कार्य किसी भी कानून की

ज्ञानने के नाम पर

बैंक में ग्राहकों की केवाईसी अद्यतन करवाने के लिए लोगों को कई बार बैंकों में जाना पड़ता है। अगर केवाईसी दस्तावेज बैंक में जमा नहीं किए जाते हैं, तो ग्राहकों को खातों के इस्तेमाल से रोक दिया जाता है या निर्लंबित कर दिया जाता है। बंद हुए खातों के संचालन के लिए दोबारा केवाईसी अद्यतन करवानी पड़ती है। मुद्दा यह है कि खाता खोलते समय बैंक ग्राहकों से कुछ दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि पहले ही मांग लेते हैं, तो फिर बाद में

प्रेरक पहल

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, बल्कि समाज में समानता, शिक्षा और सम्मान के लिए एक नई सोच विकसित करना भी है। बाल विवाह प्राचीन प्रथा है, जो लड़कियों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास को बाधित करती है। इसका मूल कारण शिक्षा का अभाव, गरीबी और रूढ़िवादी सोच है। इस प्रथा के कारण लड़कियां न केवल शिक्षा से वंचित होती हैं, बल्कि उनके स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। बाल विवाह से उपजे दुष्प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह समाज की प्रति में भी अवरोध पैदा करते हैं। ‘बाल विवाह मुक्त भारत अभियान’ का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकारों का पूरा लाभ देना है।

- आरके जैन ‘अरिजीत’, बड़वानी



पवित्र व शक्तिशाली बंधन कलावा

पवन गौतम

मौली या कलावा बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान कलावा बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा-सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा, जब से असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है, जब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। कलावा हर हिन्दू बांधता है। इसे मूलतः 'रक्षा सूत्र' कहते हैं। 'मौली' का शाब्दिक अर्थ है सबसे ऊपर। मौली का तात्पर्य सिर से भी है। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा कहा जाता है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है इसीलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। मौली सूत से बनाई जाती है। इसमें मूलतः तीन रंग के धागे होते हैं- लाल, पीला और हरा। लेकिन, कभी-कभी यह पांच धागों की भी बनती है, जिसमें नीला और सफेद रंग अतिरिक्त होता है। तीन और पांच का मतलब त्रिदेव या पंचदेव है। मौली को हाथ की कलाई, गले और कमर में बांधा जाता है। इसके अलावा मन्त्र के लिए किसी देवी-देवता के स्थान पर भी बांधा जाता है। जब मन्त्र पूरी हो जाती है तो इसे खोल दिया जाता है। इसे घर में लाई गई नई वस्तु को भी बांधा जाता और इसे पशुओं को भी बांधा जाता है।

शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए। विवाहित स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में कलावा बांधने का नियम है। जिस हाथ में कलावा बांधा रहे हों, उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। मौली कहीं पर भी बांधें, एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल तीन बार ही लेपटना चाहिए। साथ ही, इसके बांधने में वैदिक रीति का प्रयोग करना चाहिए।

त्योहारों के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। हर मंगलवार और शनिवार को पुरानी मौली को उतारकर नई मौली बांधना उचित माना गया है। उतारी हुई पुरानी मौली को पीपल के वृक्ष के पास रख दें या किसी बहते हुए जल में बहा दें। प्रतिवर्ष की संक्रांति के दिन, यज्ञ की शुरुआत में, कोई इच्छित कार्य के प्रारंभ में, मांगलिक कार्य तथा विवाह आदि हिन्दू संस्कारों के दौरान मौली बांधी जाती है।

मौली बांधने के तीन कारण हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा चिकित्सीय और तीसरा मनोवैज्ञानिक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदने पर हम उसे मौली बांधते हैं ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। हिन्दू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा-पाठ, उद्घाटन, यज्ञ, हवन व संस्कार आदि के पूर्व पुरोहितों द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली बांधी जाती है। इसके अलावा पालतू पशुओं में हमारे गाय, बैल और भैंस को भी पड़वा, गोवर्धन और होली के दिन मौली बांधी जाती है। इसका वैदिक नाम उप मणिबंध भी है। हाथ के मूल में तीन रेखाएं होती हैं, जिनको मणिबंध कहा जाता है। भाग्य व जीवनरेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है।



परंपरा

मौली बांधने से उसके पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का अहसास होता रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचार नहीं आते और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई मौकों पर इससे व्यक्ति गलत कार्य करने से बच जाता है।

एक प्राचीन कथा के अनुसार इंद्र देवता ने अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए इस रक्षा सूत्र का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने हाथ में कलावा बांधकर ही शत्रुओं से युद्ध में विजय प्राप्त की थी।

एक अन्य कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपनी रक्षा के लिए भी कलावा का इस्तेमाल किया था। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे तब उनकी पत्नियां हाथों में कलावा बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती थीं और ईश्वर से उनकी जीत की प्रार्थना करती थीं।

ज्योतिष के अनुसार आप जब भी किसी पूजा पाठ में सम्मिलित हों, किसी भी धार्मिक स्थल से वापस आएं या किसी बड़े काम के लिए घर से बाहर निकलें तब रक्षासूत्र या कलावा अवश्य बंधवाएं। ये धागे आपके भीतर के चक्रों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।

ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है।

कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है। यह काला धागा भी होता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। कलाई, पैर, कमर और गले में मौली बांधे जाने के चिकित्सीय लाभ भी हैं। इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर-परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे। रक्तचाप, हृदयाघात , मधुमेह और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है अतः यहां मौली बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसकी ऊर्जा का ज्यादा क्षय नहीं होता है। शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलावा बांधने से इन नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है।

प्रार्थना



बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बंगलुरु के इस्कान मंदिर में रविवार को प्रार्थना करते हुए श्रद्धालु।

जीवन को दिव्यता प्रदान करती है दिव्य ध्वनि

राजेंद्र कुमार शर्मा

विश्व की विभिन्न धार्मिक आस्थाओं और संस्थाओं ने सर्वशक्तिमान परम तत्व को उसके प्रेम में अभिभूत हो कर उसे अलग अलग नामों से संबोधित किया है। प्रत्येक धर्म ने एक निराकर परम शक्ति के अस्तित्व को स्वीकारा है , जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड चलायमान हैं। सभी धर्मों ने शब्द, वचन या वाणी तथा एक अदृश्यत प्रकाश को इस परम शक्तिमान परमात्मा के समतुल्य माना है। इस प्रकाश और ध्वनि से साक्षात्कार सिर्फ उन भाग्यशाली साधकों से होता है जो प्रेम, कृतज्ञता और समर्पण की भावना से ओत प्रोत रहते हैं।

दिव्य ध्वनि या दिव्यवाणी
ऐसी मान्यता है कि जब वर्धमान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसके साथ ही उनकी सभी दुखों की कारक तृष्णाएं बुझ गईं, वासनाएं शांत हो गईं। सभी आंतरिक विकारों से मुक्ति ही निर्वाण है। उनकी निर्मल आत्मा , अनंत ज्ञान के प्रकाश से ज्योतिमय हो उठी। उनके सर्वांग से एक आध्यात्मिक ध्वनि रूपी ऑंकार शब्द का उदय हुआ जिसे दिव्यध्वनि कहा गया। इसी दिव्य ध्वनि की चर्चा सभी धर्मों में अलग अलग रूपों में की गई है। कुछ जैन विद्वानों ने इसे शब्द ब्रह्म कहकर संबोधित किया है। दिव्य ध्वनि मोक्षार्थी के मन में स्थित मोहरूपी अधकार को नष्ट करती हुई , सूर्य के



शब्द शक्ति

समान सुशोभित होती है।

प्रकृति :

जब हम किसी भी भाषा में कोई वर्णात्मक शब्द या वचन बोलते हैं या सुनते हैं तो वह बाह्य मुख द्वारा बोला जाता है और बाह्य कानों द्वारा सुना जाता है। पर दिव्य ध्वनि या दिव्य वाणी वर्णात्मक न होकर धुनात्मक होती है। इसे न तो बाह्य मुख से बोला जाता है और न ही बाह्य कानों से सुना जाता है। यह तो वह आंतरिक वाणी है जो हमारे आंतरिक मुख से उत्पन्न होती है और आंतरिक कानों द्वारा ही सुनी जाती है। जो सिर्फ ध्यान में ही संभव हैं। दिव्य वाणी, मेधों की गर्जना और प्रकाश रूपी दिव्यशक्ति से ओत प्रोत रहती है और इसको धारण करने वाला या अभ्यास करने वाला , उसी दिव्यशक्ति का स्वामी बन जाता है।

दिव्य ध्वनि एक, नाम अनेक :

दिव्यवाणी , शब्द ब्रह्म , नाद, शब्द , कलाम अल्लाह, लोगोस आदि उसी एक दिव्य ध्वनि के अलग अलग नाम हैं , जिसका प्रयोग अलग अलग धार्मिक मान्यताओं या आस्थाओं में विश्वास रखने वालों ने अपने अपने तरीके से किया। हिंदू संतों ने इसे नाद का नाम दिया तो सिखों ने शब्द या गुरवाणी कह दिया। सभी धार्मिक मान्यताएं इस एक शब्द पर आकर एक दूसरे में विलीन होती प्रतीत होती हैं , जो बाहरी तौर पर अलग अलग दृष्टिगोचर हो रहा था वह एक ही है। यही दिव्य ध्वनि ही उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप है , जिसकी खोज हर धर्म के साधक को है।

प्रभाव :

यह दिव्य ध्वनि या दिव्यवाणी उस पवित्र जल के समान है जो हमारे मन की समस्त मैल को धोने की क्षमता रखता है। यही संसार रूपी समुद्र से पार होने का मार्ग है। बंधन मुक्त गुरु और परमपिता के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी के बिना मुक्ति संभव नहीं होती।उपनिषदों में भी दिव्य ध्वनि या अनाहत नाद को मन को चरने करने वाला अचूक नुस्खा माना है। नादबिन्दुपनिषद् में वर्णित है कि यह मन रूपी आंतरिक विकार, अनाहत नाद या दिव्य ध्वनि को ग्रहण कर, सुहावने नाद की गंध से बंध कर तत्काल सभी इच्छाओं और वासनाओं का परित्याग कर, संसार को भूलकर यह एकाग्र हो, स्थिर हो जाता है। निरन्तर नाद का अभ्यास करने से वासनाएं कमजोर हो जाती हैं, मन और प्राण निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं।

मयंक मुरारी

जीवन का पाथेय अगर श्रीराम हैं तो उन तक पहुंचने का पथ केवल माता सीता हैं। वह श्री राम की लीला सहचरी हैं। माता सीता के उदात्त जीवन चरित्र पर ही श्रीराम की पूरी जीवन लीला आधारित है। जनकनंदनी की सगुण शक्ति ही याव्यजीवन प्रभु के कर्मों का पूरा भार उठाती है और कभी उफ भी नहीं करती है। वह हरेक दुख और लांछन को सहती हैं। उनके चरित्र की सहशीलता की असीम गहराई के कारण ही सदियों से भारतीय जनमानस रामगाथा का अवगाहन और अनुशीलन कर रहा है। माता के चरणों की वंदना करते हुए मानस में कहा गया हैं-सती सिरोमनि सिय गुनगाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा।। रामकथा की जो गंगा बह रही है, उसकी निर्मलता सीता के अनुपम गुणों के कारण है। नदियां कितनी भी पवित्र हों, निर्मल नहीं होंगी तो उनके समीप लोग जाने से सकुचाएंगे।जनकनंदनी को रामायण के शब्द और पाठ से

समझना मुश्किल है। माता के जगतजननी के रूप को केवल गहरे ध्यान में ही समझा जा सकता है। प्रभु के चरित्र की मर्यादा को माता सीता की शाश्वत शक्ति के कारण ही स्थायी भाव मिला। अपने जन्म के साथ ही माता जानकी की जीवन यात्रा दो हिस्सों में बंट गई। वह सदैव ऋत (धर्म, विवेक, प्रज्ञा) और सत्य के दो किनारों पर चलती रही। माता के मातृत्व भाव की दिल में संजोये रखा। उनके जीवन में धरती माता का हिस्सा था, जिसके कारण उनमें ठोस यथार्थ के गुणों वास रहा।

दूसरी ओर राजर्षि जनक रूपी आकाश के कारण उनका चित्त सदैव ऊर्ध्वगामी रहा। लोक की चिंता के साथ ही प्रज्ञा के शिखर की यात्रा केवल जनक की नंदनी के लिए ही संभव था। वह सदैव ही कर्म और धर्म के संतुलन के लिए समन्वय और सहयोग करती रही। जिसके कारण ही राम ने जीवन में नायक की मर्यादा निभाई और ईश्वरीय सत्त को स्वयं के माध्यम से उदघाटित किया। यह महासंतुलन का कार्य माता सीता के समन्वय और सहयोग के कारण ही संभव हो सका। रामविहीन होकर सीता के लिए जीना कठिन था, तो

रामसीता विवाह



सीताविहीन राम की कल्पना भी संभव नहीं। सीता रूपी आधार के धरती में समाते ही श्री राम ने सरयू में समाधि लेकर

माता के मार्ग का ही अनुसरण किया। राम जब मर्यादा का, संयम का और संतुलन का उद्यम कर रहे थे, तब उस संतुलन की डोर को माता ने ही थाम रखा था। वनवास के दौरान माता ने सती अनुसुइया से कहा कि आप मुझे इन चौदह वर्षों के वनवास के दौरान अपनी देह और मन के प्रति सच्चा रहने का बल व आशीष प्रदान करें। माता सीता ने सती अनुसुइया के आशीष को संबल बनाया और सदैव ही अपने सतीत्व को सहज रूप से लिया। देह का न दमन किया और न ही दमन के लिए विचार को आने दिया। माता ने सदैव ही अभूरेपन को भरने का सफल प्रयास किया।

श्रीराम सदैव सत्कर्म पर रहे, इसके लिए उनको विकसित करने में आधार भूमि के रूप में स्वयं की प्रस्तुत किया। यह उनके चरित्र की निर्मलता का प्रताप था। उनके जीवन में योग और भोग, सुख और दुख दोनों का एक खेल से ज्यादा महत्त्व नहीं रहा। वह हर स्थिति में एकरस रही। वे जगतजननी है। सबका कल्याण ही उनके स्वभाव का आविभाज्य भाव है। माता का आचरण त्याग का आचरण है। वे सदैव दूसरे के लिए विसर्जित होने को तत्पर हैं। राम के साथ सीता का वन

में जाना परमार्थ कार्य था। उन्होंने राम के दुःख में सहभागी होने में ही पत्नी का सुख समझा। प्रसन्न होकर दुःख झेलने से ही जीवन में आदर्श आता है। व्यक्ति की दिव्यता निखरती है और व्यक्ति स्वयं को ऊंचा उठाता है। राम और सीता दोनों ने तुच्छ सुख के लिए आचरण की क्षुद्रता का वरण नहीं किया। मानव जीवन में श्रेष्ठ आचरण की गरिमा को प्रतिष्ठित किया।

सत्य को स्वीकारना सहज नहीं होता है। लेकिन माता सीता का व्यक्तित्व ही सत्य पर आधारित है। राजा जनक को खेत में पहला सत्य मिला। उन्होंने उसे स्वीकार किया। श्रम आधारित अनुभव ही पहला सत्य होता है। फिर जीवन भर उस सत्य का सामना माता करती रहीं। सामान्यतः लोगों को जीवन में एक दो बार सत्य का अनुभव होता है लेकिन उसको हम धारण नहीं कर पाते हैं। माता सीता जीवन भर न केवल सत्य को संभाला और उसको गहरा किया, बल्कि सुंदरता भी प्रदान की। यह माता के सत्य का सौंदर्य था कि प्रभु श्री राम उस सुवास के प्रति सदैव एकनिष्ठ समर्पित रहे। राम ने कभी सीता के सुवास को अपने जीवन से मिटने नहीं दिया, तब भी जब अश्वमेध के समय दूसरा विवाह को अपरिहार्य बताया गया।

संभल जामा मस्जिद मामले में पुरातत्त्व दल ने इमारत से छेड़छाड़ का दावा किया, कहा मस्जिद का नियंत्रण व प्रबंधन हमें सौंपा जाए

संभल, 1 दिसंबर (भाषा)।

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति देने वाली अदालत में अपना जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें एएसआइ ने मुगलकालीन मस्जिद को संरक्षित विरासत संरचना बताते हुए उसका नियंत्रण व प्रबंधन सौंपने का अनुरोध किया है।

एएसआइ का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विष्णु शर्मा ने रविवार को बताया कि शुक्रवार को एएसआइ ने अपना जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि स्थल का सर्वेक्षण करने में उसे मस्जिद की प्रबंधन समिति और स्थानीय निवासियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। जवाब में 19 जनवरी 2018 की एक घटना का भी जिक्र किया गया है जब मस्जिद की सीढ़ियों पर मनमाने तरीके से स्टील की रेलिंग लगाने के लिए मस्जिद की प्रबंधन समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 1920 से एएसआइ के संरक्षित स्थल के

वक्फ की संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे का मामला संसदीय समिति ने मांगी राज्यों से जानकारी

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही संसदीय समिति ने विभिन्न राज्य सरकारों से उन वक्फ संपत्तियों की सत्यता और अद्यतन विवरण के बारे में जानकारी मांगी है, जिन पर सच्चर समिति के अनुसार उन्होंने अनधिकृत तरीके से कब्जा कर रखा है। रविवार को सुत्रों ने यह जानकारी दी। हाल ही में संसदीय समिति का कार्यकाल लोकसभा द्वारा अगले बजट सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ा दिया गया है।

समिति ने राज्यों से वक्फ अधिनियम की धारा 40 का इस्तेमाल करते हुए वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई संपत्तियों का विवरण भी मांगा

घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ की दो और बटालियन जम्मू में तैनात

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने जम्मू क्षेत्र में पाकिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बीएसएफस ने क्षेत्र में हाल में बड़ी आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू क्षेत्र में 2,000 से अधिक कर्मियों वाली दो नई बटालियन तैनात की हैं। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि इन बटालियन के जवानों को पाकिस्तान से सैती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की तैनाती वाले स्थान के ठीक पीछे ‘रक्षा की दूसरी पंक्ति’ के रूप में तैनात किया गया है। बल की इन दो बटालियन को हाल में

पेज 1 का बाकी

डालर इस्तेमाल नहीं किया तो लगेगा 100% शुल्क

शामिल नहीं रहा है। ट्रंप ने शनिवार को ब्रिक्स देशों को अपनी मुद्रा लाने के किसी भी कदम को लेकर आगाह किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रथ सोशल’ पर लिखा, ‘ब्रिक्स देश डालर से दूर जाने की कोशिश करें और हम मूकदर्शक बनकर देखते रहें, वह दौर अब समाप्त हो चुका है।’

उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि वे देश वादा करें कि वे न तो नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डालर की जगह किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे, अन्यथा उन पर 100 फीसद शुल्क लगाया जाएगा और उन्हें अद्भुत अमेरिकी बाजारों में अपना सामान बेचने की उम्मीद छोड़ देनी होगी।’ ट्रंप की इस चेतावनी को लेकर शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआइ) ने कहा है कि यह चेतावनी अवास्तविक है। शोध संस्थान

विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने को ढाले पुलिस

धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआइ प्रौद्योगिकी से उत्पन्न संभावित खतरों का प्रतिकार करने के लिए पुलिस नेतृत्व से भारत की कुत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिकी भारत की दोहरी एआइ शक्ति का उपयोग करके चुनौती को अवसर में बदलने का आंेन किया। मोदी ने शहरी पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को एकीकृत किया जाए और देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लापु किया जाए। उन्होंने ‘स्मार्ट’ पुलिसिंग के मंत्र का विस्तार किया और पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनने का आह्वान किया।

‘स्मार्ट’ पुलिसिंग का विचार प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में गुवाहाटी में आयोजित सम्मेलन में पेश किया गया था। इसमें भारतीय पुलिस को सख्त और संवेदशील, आधुनिक और मोबाइल, सतर्क और जवाबदेह, विश्वसनीय और



रूप में अधिसूचित शाही जामा मस्जिद एएसआई के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए एएसआइ के नियमों का पालन करते हुए लोगों को मस्जिद में दाखिल होने की अनुमति दी जानी चाहिए। एएसआइ का तर्क है कि इमारत का नियंत्रण व प्रबंधन तथा किसी भी तरह का संरचनात्मक बदलाव का अधिकार एएसआई

न्यायिक आयोग के सदस्यों ने किया हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा
उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले महीने शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के दो सदस्यों ने रविवार को मस्जिद सहित शहर के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आयोग के प्रमुख एवं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा और सेवानिवृत्त आइपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन ने कड़ी सुरक्षा के बीच मस्जिद के पास कोट गयी इलाके का दौरा किया। आयोग के तीसरे सदस्य पूर्व आइएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद मौजूद नहीं थे। मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि आज जांच आयोग के अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य ने घटनास्थल का दौरा किया। उनका मुख्य उद्देश्य स्थल का निरीक्षण करना था। उन्होंने उन क्षेत्रों का दौरा किया जहां गड़बड़ी हुई थी। टीम ने घटनास्थल एवं मस्जिद की जांच की और वहां मौजूद कुछ लोगों से बात की। टीम फिर से दौरा करेगी और दोरे का पूरा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

के पास ही रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि एएसआइ ने यह चिंता भी जताई कि प्रबंध समिति द्वारा मस्जिद के ढांचे में अनधिकृत परिवर्तन गैरकानूनी है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। आने वाले दिनों में अदालत द्वारा इस मामले पर विचार-विमर्श किए जाने की उम्मीद है। 24 नवंबर को संभल में स्थानीय

संघर्ष

सच्चर समिति को 2005–06 के दौरान विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा कथित अनधिकृत कब्जे के बारे में सूचित किया गया था।

संसदीय समिति केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से राज्यों से जानकारी एकत्र कर रही है। इस समिति के कामकाज की शैली को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है और हाल ही में समिति के सदस्यों ने मामलों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। सुत्रों ने बताया कि भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने पाया है कि 2005–06 में सच्चर समिति को दी गई रिपोर्ट में दिल्ली में 316, राजस्थान में 60 और कर्नाटक में 42 ऐसी संपत्तियों के बारे में बताया गया था।

संसद में कामकाज को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा सरकार नहीं चाहती चर्चा, खुद स्थगित कर रही है सदन

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

संसद में कामकाज को लेकर सोमवार को विपक्षी गठबंधन (इंडिया) के घटक दल बैठक करेंगे। रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर ही खुद कार्यवाही स्थगित करने का आरोप लगाया है और अब सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। यह बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अगुआई में सोमवार को सुबह दस बजे संसद परिसर में होगी।

संसद में अडाणी व अन्य मुद्दों को लेकर लगातार गतिरोध हो रहा है और अब तक

मंदिर-मस्जिद पर भागवत की सलाह नहीं सुन रही भाजपा

एकता का आह्वान करते हुए खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी आम लोगों के खिलाफ हैं क्योंकि वह उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है और इसीलिए राजनीतिक शक्ति महत्त्वपूर्ण है।

कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि (अदालत द्वारा) एक फैसला दिया गया, जिसने देश में भानुमती का पिढारा खोल दिया है। अब, मस्जिदों के नीचे मंदिर का पता लगाने के लिए हर जगह सर्वेक्षण हो रहे हैं। इस संबंध में आवाजें उठ रही हैं। लेकिन 2023 में, संघ नेता मोहन भागवत ने कहा था कि ‘हमारा उद्देश्य राम मंदिर बनाना था और हमें हर मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं ढूँढना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा करेगी, मेरा पूरा समर्थन

मुख्यमंत्री पद पर लिया गया निर्णय मुझे और शिवसेना को स्वीकार्य होगा और मेरा पूरा समर्थन होगा। शिंदे ने कहा कि हम ऐसी सरकार देंगे, जो लोग चाहते हैं। पिछले ढाई साल में हमारे काम के बदले, जो भारी जनאदेश मिला है, उसके कारण अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अपने बेटे और लोकसभा सदस्य श्रीकांत शिंदे के उप मुख्यमंत्री बनने की अटकलों पर शिंदे ने कहा कि बातचीत चल रही है। पिछले पचास दिवल्ली में (केंद्रीय मंत्री) अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। अब हम तीनों गठबंधन सहयोगी सरकार गठन की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। भाजपा ने अभी तक अपने विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं की है। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों के हित में निर्णय लेंगे। मेरे रुख को दोहराने की कोई जरूरत नहीं है।

राकांपा प्रमुख अजित पवार ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा से होगा, जबकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राकांपा से

आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किए जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे। सर्वेक्षण का आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया था, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद स्थल पर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था।

अदालत के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर द्वारा शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किए जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे। सर्वेक्षण का आदेश एक याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया था, जिसमें दावा किया गया है कि मस्जिद स्थल पर कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था।



मेहनत जम्मू के बाहरी इलाके में रविवार को भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक खेत में धान के दाने अलग करते किसान।

लगातार दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है। इस मामले में सत्तापक्ष व विपक्ष एक दूसरे पर सदन नहीं चलने का आरोप मढ़ रहे हैं।

मामले में रविवार को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि हम सदन नहीं चलने देते ये उनका (सरकार) आरोप है। मेरा आरोप ये है कि वो मिनट में कार्यवाही स्थगित कर रही है। और सरकार खुद सदन स्थगित कर रही है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सवाल किया कि कभी आपने सुना है कि पांच मिनट में कार्यवाही स्थगित हो गई है? इनने लोग वहां चुन कर आए हैं उनकी बात सुने बिना कार्यवाही स्थगित होती है। ये उनकी गलती है, हमारी नहीं।उन्होंने कहा कि विपक्ष को विश्वास में लेकर सदन चलाना

देश में धार्मिक स्थलों का चरित्र बनाए रखने के लिए 1991 में एक कानून बनाया गया था और पूछा कि भाजपा इसका उल्लंघन क्यों करेगी कोशिश कर रही है।

खरगे ने कहा कि हम सब एक हैं और यही आप चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ‘एक हैं तो सफे हैं’, लेकिन वह किसी को भी सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। सच तो यह है कि आप ही हमें बांट रहे हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता ने कहा कि आपके नेता कह रहे हैं कि अब जब राम मंदिर बन गया है तो हर मस्जिद में शिवालय ढूँढने की जरूरत नहीं है। मोदी और (केंद्रीय गृह मंत्री अमित) शाह अपने ही नेता की बात नहीं सुन रहे हैं, जिनके समर्थन से उन्हें सत्ता मिली है, मुझे

उपमुख्यमंत्री होंगे। राकांपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख सुनील तटकरे ने कहा कि भाजपा विधायक दल का नेता अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। रायगढ़ सांसद सुनील तटकरे ने कहा कि हम साथ बैठकर तय करेंगे कि क्या करने की जरूरत है और उपमुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे।

इस बीच, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को भी बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो गया है, जिन्हें दो या तीन दिसंबर को होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। भाजपा ने घोषणा की है कि नई महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पांच दिसंबर की शाम दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। भाजपा सतर्कता के साथ कदम बढ़ रही है, क्योंकि उसके सहयोगी दलों, खासकर शिवसेना की आकांक्षाएं चुनाव में मिली भारी जीत के बाद काफी बढ़ गई हैं।

नई दिल्ली

देश

‘संस्थाओं को नष्ट करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं’

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रविवार को कहा कि आज हम एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो हमारे देश की संस्थाओं को नष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। यह ताकत लोगों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और जो उनका हक है, उसे सत्ता के करीबी कुछ व्यापारियों को सौंप रही है।

प्रियंका गांधी ने रविवार को मर्नतवाड़ी, सुल्तान बत्तैरी तथा कल्पेष्ट्रा में जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कहा कि अभी देश की भावना को बचाने की लड़ाई चल रही है। आज, हम अपने देश की आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। हम अपने संविधान के मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, जिन पर हमारा देश बना है। हम जनता के मजबूत भविष्य के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि क्षेत्र के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, मेडिकल कालेज के निर्माण में तेजी



मेहनत जम्मू के बाहरी इलाके में रविवार को भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक खेत में धान के दाने अलग करते किसान।

लाने, पर्यटन को बढ़ावा देने और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में मदद करने जैसे मुद्दे ही मेरी प्राथमिकता है। आदिवासी लोगों को स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की आवश्यकता है, किसान सरकार की गलत नीतियों के कारण पीड़ित हैं और उन्हें अपनी फसलों का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने मानव-पशु संघर्ष का भी जिक्र किया, जिसके कारण उनकी फसलें खतरों में पड़ जाती हैं और अक्सर जानवर उन्हें खा जाते हैं या नष्ट कर देते हैं।

उन्होंने बताया कि जिन होमस्टे मालिकों ने खूबसूरत होमस्टे बनाए हैं, उन्हें भी भूस्खलन के बाद बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम यहां पर्यटन को मजबूत करते हैं और दुनिया को यहां की खूबसूरती की प्रदर्शित करते हैं, तो वायनाड के लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी। आप मेरी जिम्मेदारी हैं और आपके लिए लड़ना और आपको अगले पांच वर्षों व उससे भी आगे एक बेहतर भविष्य देना मेरा कर्तव्य है।

‘जीडीपी वृद्धि दर दो साल में सबसे नीचे 5.4 तक आई’

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (ब्यूरो)।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा और चिंता जताई। राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर दो साल में सबसे नीचे 5.4 फीसद पर आ गई है। इससे साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती, जब तक इसका फायदा सिर्फ गिने-चुने अरबपतियों को मिल रहा हो।

उन्होंने कहा कि सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। किसान, मजदूर, मध्यमवर्ग और गरीब तरह-तरह की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस स्थिति को राहुल गांधी ने कुछ आंकड़ों से समझाने की कोशिश की उन्होंने लिखा कि तथ्यों बताते हैं कि देश की स्थिति कितनी चिंताजनक है। खुदरा महंगाई दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21 फीसद पर पहुंच गई है, बीते साल अक्तूबर की तुलना में इस वर्ष आलू और प्याज की कीमत लगभग 50 बढ़ गई है और रुपया 84.50 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने लिखा कि बेरोजगारी पहले ही 45 वर्षों का कीर्तिमान बना चुकी है और रेकार्ड तोड़ चुकी है, पिछले पांच वर्षों में मजदूरी, कर्मचारियों व छोट व्यापारियों की आमदनी या तो ठहर गई है या काफी कम हो गई है। इसी प्रकार आमदनी कम होने से मांग में भी कमी आई है।

मंदिर-मस्जिद पर भागवत की सलाह नहीं सुन रही भाजपा

एकता का आह्वान करते हुए खरगे ने आरोप लगाया कि मोदी आम लोगों के खिलाफ हैं क्योंकि वह उनसे नफरत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई उस नफरत के खिलाफ है और इसीलिए राजनीतिक शक्ति महत्त्वपूर्ण है।

कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि (अदालत द्वारा) एक फैसला दिया गया, जिसने देश में भानुमती का पिढारा खोल दिया है। अब, मस्जिदों के नीचे मंदिर का पता लगाने के लिए हर जगह सर्वेक्षण हो रहे हैं। इस संबंध में आवाजें उठ रही हैं। लेकिन 2023 में, संघ नेता मोहन भागवत ने कहा था कि ‘हमारा उद्देश्य राम मंदिर बनाना था और हमें हर मस्जिद के नीचे शिवालय नहीं ढूँढना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि

लगता है कि मोहन भागवत सार्वजनिक रूप से कुछ बातें कहते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं से कुछ नहीं कहते। इसलिए मुझे लगता है कि वे दोहरे चरित्र वाले हैं।

खरगे ने कहा कि जब भाजपा-संघ से जुड़े लोग ऐसी बातें कह रहे हैं तो फिर सर्वेक्षण के नाम पर विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा नैतिकता की बात करती है, लेकिन बार-बार अनैतिक गतिविधियों में लिप्त रहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ईवीएम के जरिए आपके वोट चुरा रही है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उरराखंड और मणिपुर में विधायकों को भी चुरा रही है। भाजपा चुनी हुई सरकारों और आपकी पेंशन को भी चुरा

(आरबीआइ) के पूर्व हिट्टी गवर्नर रवि वीरा गुप्ता शामिल हैं। उन्होंने 29 नवंबर को विधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि कुछ अज्ञात समूह हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं और यह साबित करने के लिए मध्ययुगीन मस्जिदों तथा दरगाहों के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं कि इन स्थलों पर पहले मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अदालतें भी ऐसी मांगों पर अनुचित तत्परता और जल्दबाजी के साथ प्रतिक्रिया देती नजर आती हैं।

दो हस्ताक्षरकर्ताओं ने पत्र के विषय-वस्तु की पुष्टि की। समूह ने कहा कि उदाहरण के लिए, एक स्थानीय अदालत का सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिरती की 12वीं सदी की दरगाह के सर्वेक्षण का आदेश देना अकल्पनीय लगता है, जो एशिया में न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि उन सभी

रही है। फसलों के लिए एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे (दिल्ली की) सीमा पर बैठे किसानों को भगा दिया गया और पीटने के बाद कुचल दिया गया। भाजपा आपके अधिकार छीन रही है। लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में निहित है।

उन्होंने कहा कि हम केवल निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं और मतों की चोरी नहीं होनी चाहिए। हमें पूरे देश से शिकायतें मिली हैं क्योंकि एक घंटे में हजारों वोट डाले जाते हैं। ईवीएम में बैठरी की समस्या भी है। इसलिए लोकतंत्र को बचाए रखना जरूरी है और जब आपके पास सत्ता होगी तो जाति जनगणना भी होगी।

पूर्व नौकरशाहों ने मोदी को पत्र लिखा, कहा-‘अवैध’ गतिविधियों पर रोक लगाने की जरूरत

(आरबीआइ) के पूर्व हिट्टी गवर्नर रवि वीरा गुप्ता शामिल हैं। उन्होंने 29 नवंबर को विधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि कुछ अज्ञात समूह हिंदू हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं और यह साबित करने के लिए मध्ययुगीन मस्जिदों तथा दरगाहों के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं कि इन स्थलों पर पहले मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने ने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अदालतें भी ऐसी मांगों पर अनुचित तत्परता और जल्दबाजी के साथ प्रतिक्रिया देती नजर आती हैं।

दो हस्ताक्षरकर्ताओं ने पत्र के विषय-वस्तु की पुष्टि की। समूह ने कहा कि उदाहरण के लिए, एक स्थानीय अदालत का सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिरती की 12वीं सदी की दरगाह के सर्वेक्षण का आदेश देना अकल्पनीय लगता है, जो एशिया में न केवल मुसलमानों के लिए, बल्कि उन सभी

भारतीयों के लिए सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है, जिन्हें हमारी समन्वयवादी और बहुलवादी परंपराओं पर गवं है।

इस बाबत समूह ने कहा कि यह विचार ही हास्यास्पद है कि एक भिक्षुक संत, एक फकीर, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अद्वितीय सूफी/भाक्ति आंदोलन का एक अभिन्न अंग था और करुणा, सहिष्णुता एवं सद्भाव का प्रतीक था, अपने अधिकार का दावा करने के लिए किसी भी मंदिर को नष्ट कर सकता था।

हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा यह दावा करने के बाद कि दरगाह मूल रूप से एक शिव मंदिर थी, अजमेर की एक सिविल अदालत ने 27 नवंबर को अजमेर दरगाह समिति, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) को नोटिस जारी किया था। इस मामले को लेकर सियासी सरगमी भी तेज हो गई है।

This is an advertisement for information purposes only and not for publication, distribution or release, directly or indirectly, outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to it in the letter of offer dated November 20, 2024 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and the Stock Exchanges, namely BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), together with BSE, the "Stock Exchanges").



UPL LIMITED



Please scan this QR code to view the Letter of Offer

UPL Limited (the "Company" or the "Issuer") was originally incorporated as "Vishwanath Commercials Limited" on January 2, 1985 at Mumbai, Maharashtra as a public limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai. Our Company received the certificate for commencement of business from the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai on January 14, 1985. Subsequently, the name of our Company was changed to "Search Chem Industries Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon change of name was granted by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai on February 17, 1994. Thereafter, the name of our Company was changed to "United Phosphorus Limited" and a fresh certificate of incorporation was granted by the Registrar of Companies, Gujarat at Ahmedabad ("RoC") on October 15, 2003. Lastly, the name of our Company was changed to UPL Limited and a fresh certificate of incorporation was granted by the RoC on October 11, 2013. For details in relation to the changes in the name of our Company and the address of registered office of our Company, please refer "General Information" on page 71 of the LOF.

Registered Office: 3-11, G.I.D.C., Vapi, Valsad - 396 195, Gujarat; **Corporate Office:** Uniphos House, Chitrakar Dhurandhar Road, 11th Road, Near Madhu Park Garden, Khar (West), Mumbai - 400052, Maharashtra, India. **Telephone:** +91 22 6856 8000; **Contact Person:** Sandeep Mohan Deshmukh, Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: upl.investors@upl-ltd.com; **Website:** www.upl-ltd.com; **Corporate Identity Number:** L24219GJ1985PLC025132

OUR PROMOTERS : RAJNIKANT DEVIDAS SHROFF, NERKA CHEMICALS PRIVATE LIMITED, JAIDEV RAJNIKANT SHROFF AND VIKRAM RAJNIKANT SHROFF

FOR PRIVATE CIRCULATION TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF UPL LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 9,38,25,955* PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 360 PER RIGHTS EQUITY SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 358 PER RIGHTS EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 3,377.74 CRORES* ON A RIGHTS BASIS TO THE HOLDERS OF THE EQUITY SHARES OF OUR COMPANY AS ON THE RECORD DATE ("ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS") IN THE RATIO OF ONE RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY EIGHT FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON NOVEMBER 26, 2024 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 503 OF THE LOF.
**Assuming full subscription in the Issue and receipt of all Call Monies with respect to the Rights Equity Shares. Subject to finalisation of Basis of Allotment. For further details on Payment Schedule, please refer "Terms of the Issue – Terms of Payment" on page 522 of the LOF.*

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

**ISSUE OPENS ON
THURSDAY, DECEMBER 5, 2024**

**LAST DATE FOR ON MARKET RENUNCIATION*
WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2024**

**ISSUE CLOSING ON*
TUESDAY, DECEMBER 17, 2024**

*Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

*Our Board or Rights Issue Committee will have the right to extend the Issue period as it may determine from time to time, but not exceeding 30 (thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date). Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA*

Simple, Safe, Smart way of Application!!

*Application Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details check section on ASBA below.

Facilities for Application in this Issue

(i) ASBA Facility:

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI ICDR Master Circular and the ASBA Circulars, all Investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA. For details refer to "Terms of the Issue – Process of making an Application in the Issue" on page 505 of the Letter of Offer.

Please note that subject to SCSBs complying with the requirements of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012, within the terms stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/11/2013 dated January 2, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSB should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SCSB(s). Such account shall be used solely for the purpose of making an Application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS IN DEMAT ACCOUNTS OF ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS

Pursuant to provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI ICDR Master Circular and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders will be credited in their respective demat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchanges under the ISIN: INE628A20010 subject to requisite approvals. For details of credit of the Rights Entitlements, please refer "Terms of the Issue – Credit of Rights Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders" on page 519 of the Letter of Offer, whose Rights Entitlements are credited in demat suspense escrow account opened by the Company.

In accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI ICDR Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Prior to the Issue Opening Date, our Company has credited the Rights Entitlements to the demat accounts of the Eligible Equity Shareholders holding the Equity Shares in dematerialised form.

Eligible Equity Shareholders are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of demat account etc., details/ records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) to our Company or the Registrar to the Issue not later than two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, i.e., by December 17, 2024 to enable the credit of their Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their demat account at least one day before the Issue Closing Date. To enable such Eligible Equity Shareholders to make an application in this Issue, and this communication shall serve as an intimation to such Eligible Equity Shareholders in this regard. Such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that their demat account, details of which have been provided to our Company or the Registrar to the Issue account is active to facilitate the aforementioned transfer. In the event that the Eligible Equity Shareholders are not able to provide relevant details to our Company or the Registrar by the end of two clear Working Days prior to the Issue Closing Date, Rights Entitlements credited to the Demat Suspense Account shall lapse and extinguished in due course and such Eligible Equity Shareholder shall not have any claim against our Company and our Company shall not be liable to any such Eligible Equity Shareholder in any form or manner.

Eligible Equity Shareholders holding Equity shares in physical form, can update the details of their respective demat accounts on the website of the Registrar (i.e. www.linkintime.co.in). Such Eligible Equity Shareholders can make an Application only after the Rights Entitlements are credited to their respective demat accounts.

PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES APPLIED FOR IN THIS ISSUE CAN BE ALLOTTED ONLY IN DEMATERIALIZED FORM AND TO THE SAME DEPOSITORY ACCOUNT IN WHICH OUR EQUITY SHARES ARE HELD BY SUCH INVESTOR ON THE RECORD DATE AND OR DP/CLIENT ID THROUGH WHICH RIGHTS ISSUE BID/APPLICATION HAS BEEN MADE HAVING SAME ORDER OF HOLDING AND PAN. FOR DETAILS, PLEASE REFER "ALLOTMENT ADVICE OR REFUND/ UNBLOCKING OF ASBA ACCOUNTS" ON PAGE 531 OF THE LETTER OF OFFER.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA):

An Investor wishing to participate in this Issue through the ASBA facility, is required to have an ASBA enabled bank account with an SCSB, prior to making the Application. Investors may submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/ electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for authorizing such SCSB to block Application Money payable on the Application in their respective ASBA Accounts. Investors should ensure that they have correctly submitted the Application Form and have provided an authorisation to the SCSB, via the electronic mode, for blocking funds in the ASBA Account equivalent to the Application Money mentioned in the Application Form, as the case may be, at the time of submission of the Application. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to <https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedDP=yes&ntmlid=34>.

MAKING OF AN APPLICATION BY ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper, in accordance with Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations in case of non-receipt of Application Form as detailed above. In such cases of non-receipt of the Application Form through e-mail or physical delivery (where applicable) and the Eligible Equity Shareholder not being in a position to obtain it from any other source may make an Application to subscribe to this Issue on plain paper with the same details as per the Application Form that is available on the website of the Registrar, Stock Exchanges or the Lead Managers. An Eligible Equity Shareholder shall submit the plain paper Application to the Designated Branch of the SCSB for authorising such SCSB to block Application Money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on plain paper will not be accepted from any address outside India.

Please note that in terms of Regulation 78 of the SEBI ICDR Regulations, the Eligible Equity Shareholders who are making the Application on plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlements and should not utilize the Application Form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on plain paper, duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per specimen recorded with his/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSB before the Issue Closing Date and should contain the following particulars:

1. Name of our Company, being UPL Limited; 2. Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository); 3. Folio number (in case of Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)/DP and Client ID; 4. Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Equity Shares applied for pursuant to this Issue 5. Number of Equity Shares held as on Record Date; 6. Allotment option - only dematerialised form; 7. Number of Rights Equity Shares entitled to; 8. Number of Rights Equity Shares applied for within the Rights Entitlements; 9. Number of Additional Rights Equity Shares applied for, if any (applicable only if entire Rights Entitlements have been applied for); 10. Total number of Rights Equity Shares applied for; 11. Total amount paid at the rate of ₹ 360.00 per Rights Equity Share; 12. Details of the ASBA Account such as the SCSB account number, name, address and branch of the relevant SCSB; 13. In case of non-resident Eligible Equity Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO account such as the account number, name, address and branch of the SCSB with which the account is maintained; 14. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account; 15. Authorisation to the Designated Branch of the SCSB to block the requisite amount specifically mentioned in the plain paper Application; 16. Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); 17. An approval obtained from any regulatory authority, if required, shall be obtained by the Eligible Equity Shareholders and a copy of such approval from any regulatory authority, as may be required, shall be sent to the Registrar to the Issue at: Link Intime India Private Limited, C- 101, 1st Floor, 247 Park, L.B.S. Marg, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 and 18. All such Eligible Equity Shareholders are deemed to have accepted the following:

*Purchaser Representations and Transfer Restrictions

Any person who acquires Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares, by its acceptance of this Letter of Offer / Abridged Letter of Offer or of the Rights Entitlements or Rights Equity Shares, will be deemed to have declared, represented, warranted and agreed with our Company and the Lead Managers as follows:

• It will comply with all laws, regulations and restrictions (including the transfer restrictions contained herein) which may be applicable in your jurisdiction and it has obtained or will obtain any consent, approval or authorization required for it to purchase and accept delivery of Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares, and it acknowledges and agrees that none of us or the Lead Managers and their respective affiliates shall have any responsibility in this regard; • It certifies that it is, or at the time the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares are purchased will be, (a) the beneficial owner of such Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares, it is located outside the United States, Canada, the People's Republic of China, South Africa and Australia, and it has not purchased the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares for the account or benefit of any person in the United States, Canada, the People's Republic of China, South Africa and Australia, or entered into any arrangement for the transfer of Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares or an economic interest therein to any person in the United States, Canada, the People's Republic of China, South Africa and Australia, or (b) it is a broker-dealer acting on behalf of a customer and its customer has confirmed to it that (i) such customer is, or at the time the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares are purchased will be, the beneficial owner of such Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares, (ii) such customer is located outside the United States, Canada, the People's Republic of China, South Africa and Australia, and (iii) such customer has not purchased the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares for the account or benefit of any person in the United States, Canada, the People's Republic of China, South Africa and Australia, or entered into any arrangement for the transfer of the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares or an economic interest therein to any person in the United States, Canada, the People's Republic of China, South Africa and Australia; • It understands and agrees (or if it is a broker-dealer acting on behalf of a customer, its customer has confirmed to it that such customer understands and agrees) that the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares are being offered in a transaction not involving any public offering within the meaning of the Securities Act, have not been and will not be registered under the Securities Act or any state securities laws in the United States; • In the future, it decides to offer, resell, renounce, pledge or otherwise transfer such Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares, or any economic interest therein, such Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares or any economic interest therein may be offered, sold, renounced, pledged or otherwise transferred only (A) outside the United States in a transaction complying with Rule 903 or Rule 904 of Regulation S and in accordance with all applicable laws of any other jurisdiction, including India, or (B) in the United States pursuant to an exemption from the registration requirement of the Securities Act and applicable state securities laws; • It is not an affiliate of our Company or a person acting on behalf of an affiliate; • It agrees (or if it is a broker-dealer acting on behalf of a customer, its customer has confirmed to it that such customer agrees) that neither it, nor any of its affiliates, nor any person acting on its behalf, are purchasing the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares as a result of any "directed selling efforts" (as defined in Regulation S under the Securities Act); • It will base its investment decision on a copy of the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer. It acknowledges that neither the Company nor any of its affiliates nor any other person (including the Lead Manager) or any of their respective affiliates has made or will make any representations, express or implied, to it with respect to the Company, the Issue, the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares, the accuracy, completeness or adequacy of any financial or other information concerning the Company, the Issue or the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares, other than (in the case of the Company only) the information contained in the Letter of Offer and the Abridged Letter of Offer, as it may be supplemented; • It is a sophisticated investor and has such knowledge and experience in financial, business and investments as to be capable of evaluating the merits and risks of the investment in the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares. It is experienced in investing in private placement transactions of securities of companies in similar jurisdictions. It and any accounts for it is subscribing to the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares for (i) are each able to bear the economic risk of the investment in the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares, (ii) will not look to the Company or the Lead Managers or any of their respective shareholders, directors, officers, employees, counsels, advisors, representatives, agents or affiliates for all or part of any such loss or losses that may be suffered, (iii) are able to sustain a complete loss on the investment in the Rights Equity Shares, (iv) have no need for liquidity with respect to the investment in the Rights Equity Shares, and (v) have no reason to anticipate any change in its or their circumstances, financial or otherwise, which may cause or require any sale or distribution by it or them of all or any part of the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares. It acknowledges that an investment in the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares involves a high degree of risk and that the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares are, therefore, a speculative investment. It is seeking to subscribe to the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares in this Issue for its own investment and not with a view to

distribution. • It will notify any transferee to whom it subsequently offers, sells, renounces, pledges or otherwise transfers and the executing broker and any other agent involved in any resale of the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares of the foregoing restrictions applicable to the Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares and instruct such transferee, broker or agent to abide by such restrictions. • It acknowledges that our Company will not recognize any offer, sale, renunciation, pledge or other transfer of such Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares made other than in compliance with the above-stated restrictions; and • It acknowledges that our Company, the Lead Manager, their respective affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing acknowledgements, representations and agreements and agrees that, if any of such acknowledgements, representations and agreements deemed to have been made by virtue of its acquisition of Rights Entitlements and the Rights Equity Shares are no longer accurate, it will promptly notify our Company, and if it is acquiring any of such Rights Entitlements and / or Rights Equity Shares as a fiduciary or agent for one or more accounts, it represents that it has sole investment discretion with respect to each such account and that it has full power to make the foregoing acknowledgements, representations and agreements on behalf of such account.

In cases where Multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to same set of Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, as applicable, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected. Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company, the Lead Managers and the Registrar to the Issue not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar to the Issue at www.linkintime.co.in. Our Company, the Lead Managers and the Registrar to the Issue shall not be responsible if the Applications are not uploaded by the SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date.

OVERSEAS SHAREHOLDERS: The distribution of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter any other offering material and the issue of the Rights Entitlement and the Rights Equity Shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India are restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. The Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and any other material relating to the Issue (collectively, the "Issue Materials") will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address to us, the Issue Materials will be sent only to their valid e-mail address and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, then the Issue Material will be physically dispatched, on a reasonable effort basis, to the Indian addresses provided by them. Those overseas shareholders who do not update our records with their Indian address or the address of their duly authorised representative in India, prior to the date on which we propose to dispatch the Issue Materials, shall not be sent the Issue Materials.

Our Company, in consultation with the Lead Managers, reserves the right to treat as invalid any Application Form which: (i) appears to our Company or its agents to have been executed in, electronically transmitted from or dispatched from the United States or any other jurisdiction where the offer and sale of the Rights Equity Shares is not permitted under laws of such jurisdictions; (ii) does not include the relevant certifications set out in the Application Form, including to the effect that the person submitting and/or renouncing the Application Form is outside the United States and such person is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable securities laws and is complying with laws of jurisdictions applicable to such person in connection with this Issue; or (iii) where either a registered Indian address is not provided; or (iv) where our Company believes acceptance of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements; and our Company shall not be bound to issue or allot any Rights Equity Shares in respect of any such Application Form.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is, December 17, 2024, i.e., Issue Closing Date. Our Board / Rights Issue Committee, may extend the said date for such period as it may determine from time to time, subject to the Issue Period not exceeding 30 days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with the Stock Exchanges and the Application Money is not blocked with the SCSB, on or before the Issue Closing Date or such date as may be extended by our Board / Rights Issue Committee, the invitation to offer contained in this Letter of Offer shall be deemed to have been declined and our Board / Rights Issue Committee, shall be at liberty to dispose of the Equity Shares hereby offered, as set out in "Basis of Allotment" on page 530 of the LOF. Please note that on the Issue Closing Date, Applications will be uploaded until 5.00 p.m. (Indian Standard Time) or such extended time as permitted by the Stock Exchanges.

ALLOTMENT ONLY IN DEMATERIALIZED FORM: Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI ICDR Master Circular, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Rights Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Rights Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two clear Working Days prior to the Issue Closing Date i.e. Tuesday, December 17, 2024 to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date i.e. Tuesday, December 17, 2024. Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and/or whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in the Demat Suspense Account opened by the Company. Such resident Eligible Equity Shareholders must check the procedure for application by physical shareholders in the section entitled, "Terms of the Issue - Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form" and "Terms of the Issue - Allotment Advice or Refund/Unlocking of ASBA accounts" beginning on pages 512 and 531 respectively of the Letter of Offer.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ONLY IN DEMATERIALIZED FORM

Procedure for Renunciation of Rights Entitlements

The Eligible Equity Shareholders may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part (a) by using the secondary market platform of the Stock Exchanges (the "On Market Renunciation"); or (b) through an off-market transfer (the "Off Market Renunciation"), during the Renunciation Period. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited / lying in his/her own demat account prior to the renunciation. The trades through On Market Renunciation and Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Investors may be subject to adverse foreign, state or local tax or legal consequences as a result of trading in the Rights Entitlements. Investors who intend to trade in the Rights Entitlements should consult their tax advisor or stock-broker regarding any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied for trading in Rights Entitlements.

Please note that the Rights Entitlements which are neither renounced nor subscribed by the Investors on or before the Issue Closing Date shall lapse and shall be extinguished after the Issue Closing Date.

LISTING: The existing Equity Shares of our Company are listed on BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"), and together with BSE, the "Stock Exchanges". Our Company has received "in-principle" approval from BSE and NSE for listing the Rights Equity Shares proposed to be issued pursuant to the Issue pursuant to their respective letters, each dated November 14, 2024. Our Company will also make application to BSE and NSE to obtain trading approval for the Rights Entitlements as required under the SEBI ICDR Master Circular, along with any supplementary circulars or notifications issued by SEBI in this regard. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange is BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of the LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. Investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" beginning on page 494 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" beginning on page 496 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the "Disclaimer clause of NSE" on page 498 of the LOF.

BANKER TO THE ISSUE: Axis Bank Limited

MONITORING AGENCY TO THE ISSUE: CARE Ratings Limited

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with the SEBI ICDR Regulations, SEBI ICDR Master Circular, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity Shareholders who have provided a registered address in India or who have provided an Indian address to our Company. In case such Eligible Equity Shareholders have provided their valid e-mail address, this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be sent only to their valid e-mail address irrespective of the address registered with Company / Depositories and in case such Eligible Equity Shareholders have not provided their e-mail address, this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Rights Entitlement Letter and other Issue material will be dispatched, on a reasonable effort basis, only to the Indian addresses provided by them. Further, this Letter of Offer will be sent/ dispatched to the Eligible Equity Shareholders who have provided their Indian address and who have made a request in this regard. In accordance with the above, the dispatch of the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter along with the Application Form has been completed on November 29, 2024 by the Registrar to the Issue.

Investors can access this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Equity Shares under applicable laws) on the websites of: (i) our Company at <https://www.upl-ltd.com/investors/shareholder-center/rights-issue>; (ii) the Registrar to the Issue at www.linkintime.co.in; (iii) the Lead Managers, i.e., (a) Axis Capital Limited at www.axiscapital.co.in, (b) BNP Paribas at www.bnpparibas.co.in, (c) J.P. Morgan India Private Limited at www.jpmi.com, (d) JM Financial Limited at www.jmfi.com, and (e) Morgan Stanley India Company Private Limited at www.morganstanley.com; (iv) the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar (i.e., www.linkintime.co.in) by entering their DP ID and Client ID or folio number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date) and PAN. The link for the same shall also be available on the website of our Company at <https://www.upl-ltd.com/investors/shareholder-center/rights-issue>.

Please note that neither our Company nor the Registrar nor the Lead Managers shall be responsible for not sending the physical copies of Issue materials, including this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter and the Application Form or delay in the receipt of this Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Rights Entitlement Letter or the Application Form attributable to non-availability of the e-mail addresses of Eligible Equity Shareholders or electronic transmission delays or failures, or if the Application Forms or the Rights Entitlement Letters are delayed or misplaced in the transit.

The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes: a) Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: www.linkintime.co.in b) Updation of Indian address/ e-mail address/ phone or mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www.linkintime.co.in c) Updation of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www.linkintime.co.in d) Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: www.linkintime.co.in

The LOF is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, and on the Company's website at <https://www.upl-ltd.com/investors/shareholder-center/rights-issue>, the Lead Managers' websites at www.axiscapital.co.in, www.bnpparibas.co.in, www.jpmi.com, www.jmfi.com and www.morganstanley.com, respectively.

Capitalized terms not specifically defined herein shall have the meaning ascribed to them in the LOF.

| LEAD MANAGERS TO THE ISSUE | | | | REGISTRAR TO THE ISSUE | COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER |
|---|--|---|---|---|---|
| AXIS CAPITAL | BNP PARIBAS | J.P.Morgan | JM FINANCIAL | LINKIntime | Mr. Sandeep Mohan Deshmukh Company Secretary and Compliance Officer Uniphos House, Chitrakar Dhurandhar Road, 11 th Road, Near Madhu Park Garden, Khar (West), Mumbai - 400052, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6856 8000 E-mail: upl.investors@upl-ltd.com |
| AXIS CAPITAL LIMITED 1 st Floor, Axis House, P.B. Marg Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Telephone: +91 22 4325 2183 E-mail: upl.rights@axiscap.in Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Contact Person: Pratik Padnekar SEBI Registration No.: INM000012029 | BNP Paribas 1 North Avenue, Maker Maxity, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Telephone: +91 22 3370 4000 E-mail: DL.UPL.Rights@bnpparibas.com Investor Grievance E-mail: indianinvestors.care@asia.bnpparibas.com Website: www.bnpparibas.co.in Contact Person: Mahabir Kochar SEBI Registration No.: INM000011534 | J.P. MORGAN INDIA PRIVATE LIMITED J.P. Morgan Tower, Off CST Road, Kalina Santacruz East, Mumbai - 400 098, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6157 3000 E-mail: UPL_RIGHTS@jpmorgan.com Investor Grievance ID: grievancecsb.jpmi@jpmorgan.com Website: www.jpmi.com Contact Person: Saarthak Soni / Vidit Jain SEBI Registration No.: INM000002970 | JM FINANCIAL LIMITED 7 th Floor, Energy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6630 3030 E-mail: upl.rights@jmfi.com Investor Grievance Email: grievance.idb@jmfi.com Website: www.jmfi.com Contact Person: Prachee Dhuri SEBI Registration No.: INM000010361 | MORGAN STANLEY INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED 18 th Floor, Tower 2 One World Centre, Plot 841, Jupiter Textile Mill Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra, India Telephone: +91 22 6118 1000 E-mail: upl.rights@morganstanley.com Investor Grievance ID: investors_india@morganstanley.com Website: www.morganstanley.com Contact Person: Aayush Aganwal SEBI Registration Number: INM000011203 | LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED C- 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Surya Nagar, Gandhi Nagar, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Maharashtra, India Telephone: +91-22-810 811 4949 E-mail: upl.rights2024@linkintime.co.in Investor grievance e-mail: upl.rights2024@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in Contact Person: Shantli Gopalakrishnan SEBI Registration No.: INR000004058 |

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary for any pre-issue or post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, see "Terms of the Issue" beginning on page 503 of the LOF.

Place: Mumbai
Date: November 29, 2024

UPL LIMITED is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and in this regard has filed the Letter of Offer dated November 20, 2024 with the Securities and Exchange Board of India, BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The Letter of Offer shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of BSE at www.bseindia.com, the website of NSE at www.nseindia.com, the website of the Company's website at <https://www.upl-ltd.com/investors/shareholder-center/rights-issue>, the Lead Managers' websites at [www.axiscapital](http://www.axiscapital.co.in)

खबर कोना

निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहा, एक की मौत

जयपुर, 1 दिसंबर (भाषा)।

राजस्थान में कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक (कोटा ग्रामीण) सुजीत शंकर ने बताया कि कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा शनिवार रात ढह गया जिसके मलबे में ढबने से एक मजदूर की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। सुरंग के ढहने से तीन मजदूर मलबे में फंस गए और बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि शमशेर सिंह (33) को मृत घोषित कर दिया गया और दो घायल मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि यह हादसा रामगंज मंडी के मोड़क इलाके में हुआ। घटना के बाद पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) के अधिकारी मौके पर पहुंचे।

नवंबर माह में 21,612 करोड़ रुपए निवेशकों ने निकाले

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (भाषा)।

विदेशी निवेशकों ने नवंबर में भारतीय इक्विटी बाजार से 21,612 करोड़ रुपए (2.56 अरब अमेरिकी डालर) निकाले। विश्वेषकों के मुताबिक अमेरिकी बांड प्रतिफल में बढ़ोतरी, डालर की मजबूती और घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की बिकवाली जारी है। हालांकि, शुद्ध निकासी अक्टूबर की तुलना में काफी कम हो गई है, जब एफपीआई ने 94,017 करोड़ रुपए (11.2 अरब अमेरिकी डालर) की बिकवाली की थी। एफपीआई ने 2024 में अब तक कुल 15,019 करोड़ रुपए की शुद्ध निकासी की है। मार्निंगस्टार इंवेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के संयुक्त निदेशक शोध प्रबंधन हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लागू होने वाली नीतियों, मुद्रास्फीति और ब्याज दर से एफपीआई का रुख तय होगा।उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियों का तीसरी तिमाही का आय प्रदर्शन भी निवेशकों का रुख तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

कोयला उत्पादन नवंबर में 7.2 फीसद बढ़ा, ढुलाई करीब चार फीसद बढ़ी

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (भाषा) ।

भारत का कुल कोयला उत्पादन नवंबर में 7.2 फीसद बढ़कर 9.06 करोड़ टन हो गया, जो पिछले साल इसी महीने में 8.45 करोड़ टन था। कोयला मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। अन्तिम आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर अवधि में कोयला उत्पादन 6.21फीसद बढ़कर 62.80 करोड़ टन हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 59.13 करोड़ टन था।नवंबर में निजी और अन्य संस्थाओं से कोयला उत्पादन बढ़कर 1.71 करोड़ टन हो गया, जो नवंबर, 2023 में 1.24 करोड़ टन था।बयान के अनुसार, ‘इसके अतिरिक्त, नवंबर 2024 में कोयला ढुलाई में लगातार सुधार हुआ। यह नवंबर, 2023 में 8.20 करोड़ टन से बढ़कर 8.52 करोड़ टन (अन्तिम) तक पहुंच गया। यह 3.85 फीसद की वृद्धि दर्शाता है।’कुल मिलाकर, चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कोयला ढुलाई बढ़कर 65.77 करोड़ टन हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 62.37 करोड़ टन था।

सूख्त

ईवीएम सेंधमारी के दावे पर आयोग ने दर्ज कराई एफआइआर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की ‘फ्रीडेंस्री’ से छेड़छाड़ कर ईवीएम को हैक कर सकने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आयोग बताया कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी सैयद शुजा द्वारा किया गया दावा झूठा और निराधार है। अधिकारी ने बताया कि 30 नवंबर को दक्षिण मुंबई के साइबर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) अधिनियम के तहत ‘इस वीडियो में दिखा रहे व्यक्ति के खिलाफ’ प्राथमिकी दर्ज की गई।

2 दिसंबर, 2024

जीएसटी संग्रह 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पहुंचा

एकीकृत आइजीएसटी 91,828 और उपकर 13,253 करोड़ रहा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

घरेलू लेनदेन से अधिक राजस्व मिलने से नवंबर में सकल माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 8.5 फीसद बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। रविवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत आइजीएसटी 91,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। नवंबर में कुल सकल जीएसटी राजस्व 8.5 फीसद बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 1.68 लाख करोड़ रुपए था। अक्तूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह नौ फीसद वार्षिक वृद्धि के साथ

अक्तूबर में 1.87 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह नौ फीसद वार्षिक वृद्धि के साथ दूसरा सबसे अच्छा जीएसटी संग्रह था।

दूसरा सबसे अच्छा जीएसटी संग्रह था। अब तक का सबसे अधिक संग्रह अप्रैल, 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। समीक्षाधीन महीने के दौरान घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 9.4 फीसद बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयात पर कर से राजस्व लगभग छह फीसद बढ़कर 42,591 करोड़ रुपए हो गया।

‘जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान में कमी का अनुमान’

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (भाषा) ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) इस सप्ताह के अंत में अपनी द्विपक्षीय मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख ब्याज दर को एक बार फिर अपरिवर्तित रख सकता है। विशेषज्ञों ने यह अनुमान जताते हुए कहा कि मुद्रास्फीति सहनशील सीमा के ऊपरी स्तर को पार कर गई है, और दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि के निराशाजनक आंकड़ों को देखते हुए केंद्रीय बैंक वृद्धि पूर्वानुमान को कम कर सकता है। रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह

सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 4-6 दिसंबर, 2024 को होने वाली है। बैठक के निर्णय की घोषणा छह दिसंबर को गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे।

आमतौर पर ऐसा मानना है कि आरबीआइ जल्द ही प्रधान ब्याज दरों को कम करना शुरू कर देगा, लेकिन केंद्रीय बैंक के पास इस बार बहुत कम विकल्प होंगे। ऐसा इसलिए है

क्योंकि खुररा मुद्रास्फीति छह प्रतिशत से ऊपर है। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर या लघु अवधि की उधारी दर को 6.5 फीसद पर बरकरार रखा है।

तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा के बिगड़े बोल, कहा

भूमि जिहादियों को सबक सिखाए राज्य सरकार

जनसत्ता संवाददाता
उत्तरकाशी, 1 दिसंबर।

तेलंगाना के गोशामहल से भाजपा के विधायक टी राजा ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तर प्रदेश के उनके समकक्ष योगी आदित्यनाथ की तरह भूमि जिहादियों को सबक सिखाने को कहा। राजा ने यहां उत्तरकाशी में एक मस्जिद के खिलाफ रामलीला मैदान में हिंदूवादी संगठन ‘देवभूमि विचार मंच’ की ओर से आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि वह हैदराबाद से यहां मुख्यमंत्री धामी से कहने आए हैं कि वह योगी आदित्यनाथ से चाय पर चर्चा करें।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस प्रकार से भूमि जिहादियों को सबक सिखाते हैं, आपको (धामी) भी उत्तराखंड में कुछ बुलडोजर खरीदने की आवश्यकता है। राजा ने धामी को प्रदेश के एक करोड़ हिंदुओं का समर्थन होने का दावा करते हुए कहा कि उन्हें उनकी भावनाएं समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वे (हिंदू) भूमि जिहाद मुक्त उत्तराखंड चाहते हैं। उत्तराखंड स्वर्ग

राजा ने उत्तरकाशी में एक मस्जिद के खिलाफ रामलीला मैदान में हिंदूवादी संगठन ‘देवभूमि विचार मंच’ की ओर से आयोजित महापंचायत को संबोधित किया

है लेकिन उसे नर्क बनाने का जो षडयंत्र भूमि जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सावधान होकर उन सभी को सबक सिखाने की आवश्यकता है। राजा ने महापंचायत में मौजूद लोगों से कहा कि जो राजनीतिक दल उनसे वोट मांगने आए, वे उन्हें यह अहसास करवा दें कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें भूमि जिहादियों को वहां से खदेड़ना होगा। यह केवल उत्तरकाशी का नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड का मुद्दा है और भूमि जिहाद व लव जिहाद से बचने के लिए सबकों एक होने की जरूरत है। यह बात आप यहां के एक करोड़ हिंदुओं के दिमाग में बैठे दो कि हम एक हैं और 25 लाख जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को जो मार के भगाएगा, हमारा आशीर्वाद उनको मिलेगा।

पंचकूला से चंडीगढ़ की तरफ भारी वाहनों पर रोक लगाई

चंडीगढ़, 1 दिसंबर (जनसत्ता)।

चंडीगढ़ में तीन दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसके लिए यातायात पुलिस ने विशेष परामर्शी जारी की है। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पंचकूला से चंडीगढ़ में सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यातायात पुलिस के आलाा अधिकारियों ने बताया कि इस दिन पंचकूला की ओर से आने वाले वाहन चालकों को

जीरकपुर और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी। यदि कोई वाहन चालक हिमाचल से पंचकूला होकर चंडीगढ़ जाना चाहता है, तो उसे जीरकपुर के रास्ते से यात्रा करनी होगी। इसी तरह, अंबाला से पंचकूला के रास्ते चंडीगढ़ जाने वाले भारी वाहन भी जीरकपुर के वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करेंगे।

यातायात पुलिस ने अपील की है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।

चुनाव आयोग ने कहा, आरोपी का दावा निराधार

माकपा सांसद ब्रिटাস ने निर्वाचन आयोग से महाराष्ट्र में मतदान फीसद वृद्धि पर स्पष्टीकरण मांगा

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (भाषा)।

माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के राज्यसभा सदस्य जाज ब्रिटাস ने रविवार को भारत के निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कथित विसंगतियों पर स्पष्टीकरण की ‘तत्काल आवश्यकता’ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को संबोधित पत्र में ब्रिटাস ने कहा कि मतदान के आंकड़ों और

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें एक व्यक्ति को यह दावा करते सुना जा सकता है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम की ‘फ्रीडेंस्री’ से छेड़छाड़ कर उसे (ईवीएम को) हैक कर

सकता है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई की। निर्वाचन आयोग ने 2019 में भी इसी तरह का दावा करने के लिए शुजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के

नई दिल्ली

देश/व्यापार

आंध्र के बाद तेलंगाना भी दो बच्चों की नीति खत्म कर सकता है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

जनसंख्या नियंत्रण पर बहस के बीच और आंध्र प्रदेश द्वारा अपनी ‘दो-बच्चा नीति’ को खत्म करने के हफ्तों बाद पड़ोसी राज्य तेलंगाना भी ऐसा ही फैसला लागू करने की तैयारी में है।

आंध्र ने वह प्रावधान रद्द कर दिया था, जिसमें दो से अधिक बच्चों वाले लोगों पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक थी। इस तरह का प्रावधान लागू करने के लिए तेलंगाना को आंध्र प्रदेश की तरह अपने पंचायत राज अधिनियम, 2018 में संशोधन करना होगा। एक आला अधिकारी के मुताबिक, ‘पर्याप्त सबूत हैं जो बताते हैं कि हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब राज्य की आबादी बढ़ी हो जाएगी। अब समय आ गया है कि पहले लागू किए गए कुछ परिवार नियोजन उपायों को वापस लिया जाए।’ उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक तेलंगाना को अधिक युवाओं या बच्चों की आवश्यकता होगी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पहले कहा था कि उनकी सरकार ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को प्रोत्साहन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पहले कहा था कि उनकी सरकार ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को प्रोत्साहन देगी, यह नीति कई यूरोपीय देशों ने भी अपनाई है।

देगी, यह नीति कई यूरोपीय देशों ने भी अपनाई है। आंध्र प्रदेश ने नीति को रद्द करते हुए कम प्रजनन दर और बढ़ती उम्र की आबादी के बारे में भी चिंता जताई थी। राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री की तरह अपने पंचायत राज उपके बाद आंध्र प्रदेश (तब अविभाजित) और हरियाणा ने 1994 में इसे अपनाया। अगर इसे खत्म कर दिया जाता है, तो तेलंगाना इस नीति को खत्म करने वाला देश का छठा राज्य बन जाएगा। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में इसे वापस ले लिया है, जबकि छत्तीसगढ़ , हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 2005 में इसे खत्म कर दिया था।

विमान ईंधन 1.45 फीसद महंगा हुआ

वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 16.5 रुपए बढ़ी

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (भाषा)।

विमान ईंधन या एटीएफ 1.45 फीसद महंगा हो गया है, जबकि होटल और रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत में 16.5 रुपए प्रति 19 किलोग्राम सिलेंडर की वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र की ईंधन विपणन कंपनियों ने रविवार को कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुसार अपने मासिक संशोधन के तहत उक्त मूल्य वृद्धि की।

राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ की कीमत 1,318.12 रुपए प्रति किलोलीटर या 1.45 फीसद बढ़कर 91,856.84 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई। विमान ईंधन की

ईंधन विपणन कंपनियों ने रविवार को कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुसार अपने मासिक संशोधन के तहत उक्त मूल्य वृद्धि की।

कीमतों में यह लगातार दूसरी मासिक वृद्धि है। इससे पहले एक नवंबर को दरों में 2,941.5 रुपए प्रति किलोलीटर (3.3 फीसद) की वृद्धि की गई थी। मुंबई में एटीएफ की कीमत



डाक के जरिए मिला पत्र, खुद को लारेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया भाजपा नेता से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी

बलिया, 1 दिसंबर (भाषा)।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में भाजपा के नेता और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष को पत्र भेजकर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने खुद को लारेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया। उभाव विला प्रभारी विपिन सिंह ने रविवार को बताया कि बिलथरा रोड नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन दिनेश कुमार गुप्ता की तहरीर पर रविवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा

भाजपा नेता बिलथरा रोड नगर पंचायत की चेयरमैन रेनु गुप्ता के पति व उनके प्रतिनिधि दिनेश गुप्ता ने बताया कि 28 नवंबर को डाकघर से पोस्टमैन ने साधारण डाक लगा हुआ एक-एक पत्र दिया। उसमें लिखा है कि ‘हमारे धंधे में 10 करोड़ की आवश्यकता है, जल्द चाहिए। एल बिश्नोई गैंग।’ लिफाफे पर एक तरफ भेजने वाला आरपन सिंह, जीकेपी, पिन- 273002’ लिखा है। पत्र मिलते ही थाने और चौकी को सूचना दे दी थी। इस खत के मजमूत को पढ़ने के बाद परिवार में भय व दहशत का माहौल है।

351(4) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि उन्हें तीन दिन पहले डाक के जरिए एक पत्र मिला, जिसमें आरोपी ने खुद को बिश्नोई गिरोह का सदस्य करार देते हुए उनसे 10 करोड़ रुपए की

फिरीती मांगी। पीड़ित ने बताया कि उनकी पत्नी रेनु गुप्ता वर्तमान समय में भाजपा की बिलथरा रोड नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं। बिलथरा रोड नगर पंचायत के दो बार अध्यक्ष रहे गुप्ता व्यवसायी हैं। साथ ही वह भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के गोरक्षा प्रांत के सह संयोजक भी हैं।

पायलट की सूझबूझ से बची सैकड़ों यात्रियों की जान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

चक्रवाती तूफान ‘फेंगल’ के दौरान चेन्नई हवाई अड्डे पर उतारने की कोशिश नाकाम होने पर पायलट ने अपनी सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों ने जान बचाई। मुंबई से चेन्नई पहुंचने के बाद इंडिगो के विमान को शनिवार को पायलट ने जब उतारने की कोशिश की, तेज हवा की वजह से विमान ने कई बार कलाबाजी खाई, जिससे सभी यात्री डर गए। लेकिन तत्काल दोबारा उड़ान भरी जिससे बड़ा हादसा बच गया।

उधर, हालात में सुधार होने के बाद देर रात विमानों का आवागमन भी दोबारा शुरू कर दिया गया। इंडिगो की उड़ान के उतरने से तुरंत पहले तेज हवा की वजह से इसे दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। जोखिम के बावजूद पायलट ने अहम

चेन्नई हवाई अड्डे पर बचा हादसा, आवागमन भी दोबारा शुरू कर दिया गया।

भूमिका निभाते हुए अपनी टीम सहित यात्रियों की जान बचाई। इस बारे में इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा है कि चालक दल ने पूरे सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए इसे अंजाम दिया। इसकी प्रसारित हो रही वीडियो से यह साफ हो रहा है कि अगर चंद सेंकंड की देरी होती तो चक्रवाती तूफान ‘फेंगल’ के दौरान चेन्नई हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हो सकता था।

खराब मौसम के कारण इंडिगो के काकपिट कू फ्लाइट 6इ 683 ने शनिवार को मुंबई से चेन्नई की फ्लाइट में दोबारा उड़ान भरने (गो-अराउंड) का निर्णय लिया।

DFM
FOODS LTD.

सौजन्यपूर्ण: U15311DL1993PLC056264

पंजीकृत कार्यालय: 149, पहली मील, फिरोजपुरी, रिंग रोड, आराम, नई दिल्ली-110014
कोर्पोरेट ऑफिस: 140-141, तमिल मंडिर, जीवितरा स्टडी सेंटर,
सेक्टर-32, मोरारजी-201301 (नयी)
दूरभाष: नं० 0120-6013232; ईमेल: dfm@dfrmfoods.com,
वेबसाइट:- www.crx.in


सूचन

- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 9 सितंबर 2024 को दिए गए विस्तार के अनुसार, वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 2023-24 की वार्षिक आम बैठक 30 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले आयोजित की जानी है। तदनुसार, कंपनी अपनी 31वीं वार्षिक आम बैठक वित्सांतरि समझौता के भीतर यानी 30 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्राधान्यों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में सामान्य परिषद सभा 14/2020/17/2020, 20/2020, 02/2021, 20/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023, 09/2024 और कंपोर्ट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों के साथ बुलाएगी।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों के भेजी जाएंगी जिन्हें ईमेल पते पर कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतियां/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत/उपलब्ध होंगी।
3. एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.craix.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।
4. ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करने का तरीका: डीमेट/रियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को अपने डिपॉजिटरी प्रतियां/रजिस्ट्रार के माध्यम से अपने संबंधित डिपॉजिटरी में पंजीकृत करें। मौलिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते और मोबाइल नंबर को निर्धारित फॉर्म ISR-1 और आम प्रस्ताविकाओं में कंपनी के RTA यानी MCS शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, F-65, पहली मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110020, फोन नंबर: 011-41406149, ईमेल: admin@mcsregistrars.com पर पंजीकृत करें।
5. सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, जिसका विवरण कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।
6. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका: सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में बताए अनुसार व्यवसायों पर दूर से अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमेट/रियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनके लिए दूर से वोट करने का तरीका कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना में प्रदान किया जाएगा। एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में वोट कर सकेंगे। कंपनी की वेबसाइट पर भी विवरण दिया जाएगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे ऐसे विवरणों के लिए www.craix.in पर जाएं।
7. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते या बैंक अधिदेश में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत अपने डिपॉजिटरी प्रतियां/रजिस्ट्रार को दें, जिनके पास वे अपने डीमेट खाते रखते हैं। मौलिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते और एनएसडीएल विवरण में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020 को दें।
8. निज शेषधारकों की ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आर एंड एसटीए) के साथ admin@mcsregistrars.com; helpdeskreply@mcsregistrars.com पर अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करें, इसके लिए उन्हें आर एस एस्टीए के साथ पंजीकृत अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, पैन, डीपीआईडी/बलाइड यानी या फॉलियो नंबर और उनके पास मौजूद शेयरों की संख्या बतानी होगी। इसके अलावा, डीमेट मोड में शेयर रखने वाले शेषधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें और अपने डिपॉजिटरी प्रतियां/रजिस्ट्रार को सूचित करें जिनके पास वे अपने डीमेट खाते बनाए हों।
9. उन शेषधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, यूपए आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ईमेल आईडी के पंजीकरण के लिए इस नोटिस में निर्धारित प्रक्रिया:
- क. यदि शेयर मौलिक रूप में रखे गए हैं तो कृपया फॉलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा (dfrm@dfrmfoods.com) प्रदान करें।
- ख. यदि शेयर डीमेट मोड में हैं, तो कृपया DPID-CLID (16 अंकों की DPID + CLID या 16 अंकों की लागू आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या सेमेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) (dfrm@dfrmfoods.com) पर प्रदान करें।
- ग. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक/सदस्य उपर्युक्त कृतावधि प्रदान किए ई-वोटिंग के लिए यूपए आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
10. 31वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना सदस्यों को उनके ईमेल पते पर लागू कानूनों के अनुसार सीधे भी भेज दी जाएगी।

बोर्ड के आदेश से
स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
वैशाली सिंह
कंपनी सचिव

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



Chola

Enter a better life

चोलामंडलम

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रैस्को
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय
कॉन्टेक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास धर्माचार्य

अचल सम्पत्तियाँ

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हितधारकों के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंजल् फायनैस कम्पनी लिमिटेड द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियाँ "जैसा है जहाँ है", "जो है जैसा है" एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का

| क्र. सं. | खाता संख्या तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम | धारा 13(6) गैर सूचिति 29-11-2024 85.58,90 करोड़ रु. कक्षा 1 सावि |
|----------|--|--|
| 1. | <p>ऋण खाता सं. X0HEDE100002953240</p> <p>ए-630, सेक्टर-19, नोएडा विशारख, उत्तर प्रदेश-201301, अन्य पता : रवि प्रताप शुक्ला एफ-101, प्रथम तल, सेक्टर-8, नोएडा, गौमनबुद्ध नगर, नोएडा-201301</p> <p>2. बेलावली शुक्ला</p> <p>ए-630, सेक्टर-19, नोएडा विशारख, उत्तर प्रदेश-201301,</p> <p>3. भास्कर प्रताप शुक्ला</p> <p>ए-630, सेक्टर-19, नोएडा विशारख, उत्तर प्रदेश-201301,</p> <p>4. बबू विंश अपरेल्लु, इसके स्वामी के माध्यम से</p> <p>ए-630, सेक्टर-19, नोएडा विशारख, उत्तर प्रदेश-201301</p> | |

1. आईओएन-नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई-
Ms.procure247, (सम्पर्क व्यक्ति : वासु पटेल - 9510974587)

2. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों
<https://cholamandalam.com/auction-notices> देखें।

यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत

स्थान : दिल्ली, एनसीआर, दिनांक : 02-12-2024

[illegible]

कार्यालय प्रधान आयकर आयुक्त (न्यायिक)

कमरा सं. 162-ए, केन्द्रीय राजस्व भवन, नई दिल्ली

दूरभाष एवं फैक्स : 23379308, ईमेल: delhi.cit.judicial@incomtax.gov.in

फा. सं.-प्र.आयकर आयुक्त (न्या.)/एन.सी.एल.टी. मामलों/2024-25/727 दिनांक: 28.11.2024

एन.सी.एल.टी. विषयों के मामलों की सुनवाई से संबंधित नोटिस

एन.सी.एल.टी. विषयों/मामलों के संबंध में आवश्यक अनुपालन के लिए निम्नलिखित कंपनियों और उनके निदेशकों को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है, जो माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण [**(National Company Law Tribunal)**] सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली के समक्ष नीचे दी गई तालिका के कॉलम सं. 4 में उल्लिखित तारीखों में सुनवाई के लिए नियत है:

| क्रम सं. | भाषा तथा संख्या एवं मासाला शीर्षक | पिछले ज्ञात विद्वानों के नाम | सुनवाई की अगली तारीख | कोर्ट नंबर |
|----------|---|--|----------------------|------------|
| 1 | अपील सं. 11/252/एनबी/2024 आयकर अधिकारी वार्ड 25(1) Vs. बनाम आरओसी एवं (तेजपुर बिजुलकान प्रा. लि. पैन: AACCT3725A | 1. मि. मनोज कुमार बोहरा (बीआएएन: 05113026) 2. मि. अजय कुमार (बीआएएन: 05118852) | 16.01.2025 | 6 |
| 2 | अपील सं. 69/252/एनबी/2024 उप आयकर आयुक्त, राकिल 19(1), नई दिल्ली बनाम आरओसी एवं (आर एस ए पाँवर प्रा. लि. पैन: AAGCR5899D | 1. मि. रामाकर पाण्डेय (बीआएएन: 03639175) 2. मि. जगदीश दुबे (बीआएएन: 06618000) 3. मिसेज. रीता रानी पांडे (बीआएएन: 06834252) | 16.01.2025 | 6 |
| 3 | अपील सं. 119/252/एनबी/2024 सहायक आयकर आयुक्त, राकिल 25 (1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (विद्याराह नयल एस्टेट इंडिया प्रा. लि. पैन: AACCV7468A | 1. मिसेज. वैजिनी महादेवसिंह (बीआएएन: 02246544) 2. मि. किशोर महादेवसिंह (बीआएएन: 02246455) | 16.01.2025 | 6 |
| 4 | अपील सं. 120/252/एनबी/2024 आयकर अधिकारी, वार्ड 24(1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (स्लाइस ट्रेडिंग इंडिया प्रा. लि. पैन: AAUCS8369P | 1. मि. निमित्त चौधरी (बीआएएन: 02246544) 2. मि. रमेश कुमार (बीआएएन: 06944617) | 16.01.2025 | 6 |
| 5 | अपील सं. 30/252/एनबी/2023 आयकर अधिकारी, वार्ड 7(1) बनाम आरओसी एवं (दिल्ली फ्लावरस प्रा. लि. पैन: AAACD2508F | 1. मि. जैवा साहने (बीआएएन: 01807563) 2. मि. मनवीर सिंह साहने (बीआएएन: 01807573) 3. मि. मोहित कोर साहने (बीआएएन: 02724758) | 19.12.2024 | 2 |
| 6 | अपील सं. 264/252/एनबी/2023 आयकर अधिकारी, वार्ड 23 (1) बनाम आरओसी एवं (सिक्वोईड रीजिस्ट्रार प्रा. लि. पैन: AAUCS0171J | 1. सयद सरफराज अहमद (बीआएएन: 07834619) 2. मोहम्मद शाकिर (बीआएएन: 07876548) | 19.12.2024 | 2 |
| 7 | अपील सं. 267/252/एनबी/2023 आयकर अधिकारी, वार्ड 23 (1) बनाम आरओसी एवं (शिखर बिजुल टेक प्रा. लि. पैन: AALCS1676E | 1. मि. राजीव कुमार राणा (बीआएएन: 05174378) 2. रीता राणा (बीआएएन: 05174380) | 19.12.2024 | 2 |
| 8 | अपील सं. 192/252/एनबी/2023 सहायक आयकर आयुक्त, राकिल 22 (2) बनाम आरओसी एवं (सेकन प्रोपर्टी कंसल्टेंसी प्रा. लि. पैन: AAPCS2640Q | 1. उर्मेशी मिश्र (बीआएएन: 07998458) 2. मि. सुनील कुमार यादव (बीआएएन: 08236334) | 19.12.2024 | 2 |
| 9 | अपील सं. 153/252/एनबी/2024 सहायक आयकर आयुक्त, राकिल - 7 (1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (डायनवाल्ट टेक्नोलॉजी इंडिया प्रा. लि. पैन: AAFCD8830M | 1. हीमंशुपुरी (बीआएएन: 06812298) 2. मि. वेद चवने बो (बीआएएन: 08018393) 3. मि. फुगवेन (बीआएएन: 08018389) 4. मि. रजिषुपुरी (बीआएएन: 07298686) | 18.12.2024 | 5 |
| 10 | अपील सं. 202/252/एनबी/2023 उप आयकर आयुक्त, राकिल 19 (1) बनाम आरओसी एवं (ओटीएम इन्फ्राप्रोटेक्ट प्रा. लि. पैन: AABC08648N | 1. मि. सुमित कुमार (बीआएएन: 06922306) 2. मि. विष्णु की सिंहाल (बीआएएन: 07517049) | 03.12.2024 | 4 |
| 11 | अपील सं. 218/252/एनबी/2023 उप आयकर आयुक्त, राकिल 19 (1) बनाम आरओसी एवं (क्वांटम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. पैन: AAACQ1426H | 1. मोहित शिवादी (बीआएएन: 00676725) 2. मि. विनय मानी शिवादी (बीआएएन: 00676944) | 03.12.2024 | 4 |
| 12 | अपील सं. 137/252/एनबी/2024 आयकर अधिकारी, वार्ड 23(1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (एस जी पी अल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. पैन: AADCK3322P | 1. मोहित शिवादी (बीआएएन: 00676725) 2. मि. विनय मानी शिवादी (बीआएएन: 00676944) | 03.12.2024 | 4 |
| 13 | अपील सं. 138/252/एनबी/2024 आयकर अधिकारी, वार्ड 23(1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (सिमटो ट्राइब्स प्रा. लि. पैन: ABDSC2372Q | 1. मोहित शिवादी (बीआएएन: 08666567) 2. मि. रविंदर कुमार (बीआएएन: 08666568) | 03.12.2024 | 4 |
| 14 | अपील सं. 139/252/एनबी/2024 आयकर अधिकारी, वार्ड 23(1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (एनआ इन्जीनियरिंग सर्विस प्रा. लि. पैन: AAKCS6015Q | मिस। अरुण इलायुद्दीन खान | 03.12.2024 | 4 |
| 15 | अपील सं. 140/252/एनबी/2024 सहायक आयकर आयुक्त, राकिल 25 (1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (टाइमलाइन वेन्यूसर प्रा. लि. पैन: AAHCT7820R | मि. ललित कुमार अरोड़ा (बीआएएन: 02625265) मि. निरेश अरोड़ा (बीआएएन: 06662117) मि. पंकज चौपड़ा (बीआएएन: 08704687) | 03.12.2024 | 4 |
| 16 | अपील सं. 124/252/एनबी/2024 आयकर अधिकारी, वार्ड 27 (1), दिल्ली बनाम आरओसी एवं (विडरूडरफाबिल्ड प्रा. लि. पैन: AABCU9079K | 1. मि. कृष्ण कुमार (बीआएएन: 08442367) 2. मि. जितेंद्र कुमार रौत (बीआएएन: 08456163) | 02.12.2024 | 3 |

इस संबंध में, इस नोटिस के माध्यम से उपर्युक्त कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों/निदेशकों को इस के द्वारा सूचित किया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि वे अपने संबंधित मामलों में सुनवाई को उपर्युक्त तारीखों पर माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) के सम्मुख उपस्थित हों। कृपया ध्यान दें, यदि उक्त कथित विधियों में आप उपस्थित होने में विफल रहें, तो आपको अनुपस्थिति में मामले को सुनवाई होगी और फैसला लिया जाएगा।

भवदीय
हस्ता./- (हीरा लाल)
आयकर अधिकारी
(न्यायिक)-3, नई दिल्ली

CBC-15403/11/0010/2425

[illegible]



RBL BANK
agnie ka bank

आरबीएल बैंक लिमिटेड

प्रशासनिक कार्यालय : पहली मंजिल, शाहपुरी, कोलकाता-4 16001
शाखा कार्यालय : संपत्ति क्र. 1, पहली मंजिल, मोदी गिरजा के सामने, ओखला फेस-3, नई दिल्ली 110020.

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना का प्रकाशन

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उल्लिखित कृषि(ओं)/ जमानतदार(ओं)/ बंधकर्ता(ओं) जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त ऋण/ऋण सुविधाओं के मूलभूत और व्याज के पुनर्गुणान में वृद्धि की है और जिनके ऋण खाता को पर-निष्पादित आस्ट्रेट्स (सर्प्राइज) के रूप में मॉनीटर किया गया है। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिनिधिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत को उनके अतिम ज्ञात पते पर सूचना जारी की थी।

| अ. क्र. | कृषि, सह-कृषि/ जमानतदार/ बंधकर्ता का नाम एवं पता | ऋण खाता संख्या | प्रस्तुत होने वाली प्रत्याभूत संपत्तियों का पता एवं विवरण | सूचना की तिथि बकाया राशि रु. में |
|---------|---|--|--|--|
| 1 | शोभित सुमल पिता प्रेम चंद सुमल संपत्ति क्र. 163, तलचर एवं भूतल, सेक्टर 55, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 अन्य पता – मकान नं. 386, अर्बन एस्टेट, सेक्टर-7, कनकाल (ग्रामीण) (भाग-1), कनकाल, हरियाणा-132001 नेहा मारवाह पिता अशोक कुमार मारवाह संपत्ति क्र. 163, तलचर एवं भूतल, सेक्टर 55, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 अन्य पता – मकान नं. 51, अर्बन एस्टेट, सेक्टर-8, कनकाल (ग्रामीण) (भाग-1), कनकाल, हरियाणा-132001 | 609000 746790 809002 823484 | प्लॉट नं. 163, क्षेत्रफल 171 वर्गमीटर, भूतल (तलचर सहित), सेक्टर 55, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001 | 26.11.2024 रु. 61,34,483.34/- (रुपये इकसठ लाख बीस हजार चार सौ त्रिंशदीस बीस पाँच रुपयाएँ सहित) (पूर्ण मूलान तक) एवं उस पर आकारित व्ययों सहित |


उपर्युक्त कृषीयों(ओं)/या उनके जमानतदार(ओं)/ बंधकर्ता(ओं) (जब भी लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि एवं मूलान तक के लिए काफ़ी ज्ञात है, ऐसा न करने पर सरफेसी की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उनको 60 दिनों की संपत्ति के बाव आगे के कदम उठाए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारी और उपचारों के लिए तृतीयक के बिना किया गया है जो कार्मिक के तहत एक ऋण/सुविधा के कृषी(ओं)/जमानतदार(ओं)/ बंधकर्ता(ओं) को खिलाफ बैंक को उपलब्ध है। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि एक अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको उपरोक्त प्रत्याभूत संपत्ति के निपटान या उससे निपटने या विक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त प्रत्याभूत संपत्ति को स्थानांतरित करने से हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना, प्रतिबंधित/निषिद्ध किया जाता है।

स्थान – गुरुग्राम

दिनांक – 02-12-2024

प्राधिकृत अधिकारी
आरबीएल बैंक लिमिटेड

| <div>  <div> आरबीएल बैंक लिमिटेड प्रशासनिक कार्यालय : पहली लेन बाहरीपुरी, कोलकाता-746001 शाखा कार्यालय : संपत्ति क्र. 1, पहली मंजिल, मोदी मिल्स के समने, बंगला प्रेस-3, नई दिल्ली 110020. </div> </div> | | | | |
|--|--|---|--|---|
| सरफेसी अधिनिम्न 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना का प्रकाशन | | | | |
| एलएड द्वारा सूचना दी जाती है कि उल्लेखित कृषि(ओं)/ जमानतदार(ओं)/ वंचककर्ता(ओं) जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त नकद/ कृण सुविधाओं के मूलदान और व्याज के पुनर्मुताबिक में चुक दी है और जिनके कृण खातों की गैर-निष्पादित आसियायें (रम्पौर) के रूप में मंजीत किया गया है। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिप्रतिकृण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) धारा 13(2) के तहत को उनके अतिम ज्ञात पते पर सूचना जारी की थी। | | | | |
| क्र. सं. | कृषि, सह-अर्ण/ जमानतदार/ वंचककर्ता का नाम एवं पता | कृण खाता संख्या | प्रस्तुति होने वाली प्रच्युत वित्त का पत्र एवं विवरण | सूचना की तिथि यकाया राशि रु. में |
| 1 | मेसर्स सुरिंदर ट्रेड्स (इसके मालिक के माध्यम से/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सुरिंदर सिंह उप्पल उर्फ सुरिंदर सिंह) XIV/ 11152/7, ग्राउंड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर, न्यू रोहतक रोड, कोरल बाग, नई दिल्ली-110005, अन्य पता: मकान नंबर 73 तीसरी मंजिल यूनिट नंबर 4 गली नंबर 2-3 जोशी रोड कोरल बाग नई दिल्ली-110005, नई दिल्ली: 100515 श्री सुरिंदर सिंह उप्पल उर्फ सुरिंदर सिंह पिता अजीत सिंह उप्पल , मेसर्स सुरिंदर ट्रेड्स XIV/ 11152/7, ग्राउंड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर, न्यू रोहतक रोड, कोरल बाग, नई दिल्ली-110005, अन्य पता: 1514, गली नंबर 2-3 जोशी रोड कोरल बाग नई दिल्ली-110005, अन्य पता: मकान नंबर 73 तीसरी मंजिल यूनिट नंबर 4 गली नंबर 2-3 जोशी रोड कोरल बाग नई दिल्ली-110005 मंजीत कौर उर्फ मंजीत कौर पत्नी सुरिंदर सिंह XIV/ 11152/7, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, न्यू रोहतक रोड, कोरल बाग, नई दिल्ली-110005 अन्य पता: 1514 गली संतरासन, पहाड़ान, नई दिल्ली-110055, अन्य पता: मकान नंबर 73 तीसरी मंजिल यूनिट नंबर 4 गली नंबर 2-3 जोशी रोड कोरल बाग नई दिल्ली-110005 | 809000 537220, 809002 824320 | नगर पालिका क्र मांक XIV/ 11152/7 दो मंजिले, नगर, छत के अधिकार के साथ क्षेत्रफल 17 वर्ग गार्ड। विजली एवं पानी के जनैकन कृषि सुविधा के विना विधित्त सुविधाओं से युक्त, न्यू रॉ हलक रॉड, शीडोपुरा, कोरल बाग, नई दिल्ली-110005 स्थित है। वर्तुसीमा: पूर्व: सीडि यॉ, पश्चिम: संपत्ति क्र. 11171/ए की आम दिवार, उत्तर: रू. गंधारी लाल मेहरा की संपत्ति क्र. 11152/8 की आम दिवार, साउथ: रू. | 26.11.2024. रु. 28,27,443,16/- (रुपये अट्ठाइस लाख सत्तराई हजार चार सौ शिरयाडिस एवं सोलह पैसे मात्र) |
| उक्त पर आदर्शिक व्ययो सहित | | | | |
| उम्मुक्त कृषि(ओं) (या) उम्मे जमानतदार(ओं) / वंचककर्ता(ओं) (जब भी लागू हो) को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का मूलदान करने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर सरफेसी की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उम्मे 60 दिनों की अवधि के बाद आप को कम्मे उम्मे उम्मे। कृष्य धारा 12 के यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उम्मेधारी के लिए पूर्णतः के विना किया गया है जो कम्मे के तहत उम्मे कृण/ सुविधा के कृषि(ओं)/ जमानतदार(ओं) / वंचककर्ता(ओं) के खिलाफ कृषि को उम्मेधारी है। आपसे यह भी उम्मेधारी किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के अनुसार, आपको उम्मेधारी प्रच्युत संपत्ति के निम्नानुसार उम्मेधारी निम्निते या विक्री, पड़े या अन्यथा के माध्यम से उम्मेधारी प्रच्युत संपत्ति को स्थानांतरित करने से हमारी पूर्व लिखित सममति के विना, प्रतिबंधित करार किया जाता है। | | | | |
| स्थान - बुलगाय आधिकृत अधिकारी प्रतिबंधित बैंक लिमिटेड | | | | |
| स्थान - 02-12-2024 | | | | |



चोलांमडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : चोला ब्लैकट, गली 54 एच 85, सुपर ग्री-4, थिरु वी का इन्वेस्टमेंट एस्टेट,
मिन्डी, चेन्नई-600032, भारत. **शाखा कार्यालय :** ग्राम एवं स्थिति तहत. प्लॉट नंबर 6, मेन सुगा
रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कच्चा सूचना नियम (अ) के अधीन

जबकि, अद्योस्ताक्षरी ने मेसर्स चोलांमडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति तहत प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति तहत प्रवर्तन नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(ई) काकम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की है, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम काकम (डी) में निर्दिशित किए गए हैं, से काकम (डी) में निर्दिशित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि सुचना में असफल रहे हैं। एतद्वारा कर्जदार(सी) को विशेष रूप से और संस्थाधारण को सूचना दी जाती है कि अद्योस्ताक्षरी ने उक्त नियमवली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काकम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कच्चा काकम (एफ) में निर्दिशित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा संस्थाधारण को काकम (डी) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यहार मेसर्स चोलांमडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड की काकम (डी) में निर्दिशित बकाया राशि और उस पर व्याज के प्रभावशाली होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (6) के तहत कर्जदार बिचकी की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सी लातातों, प्रमार्गें तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रयाप्तनु अछुड़ा समवते हैं।

| क्र. सं. | आदेक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या | मांग सूचना की तिथि | बकाया राशि | कच्चे में ली गई संपत्ति का विवरण | कच्चा का तिथि |
|--|--|--------------------|------------------------|---|-------------------------|
| (ए) | (बी) | (सी) | (डी) | (ई) | (एफ) |
| 1. | ऋण खाता सं. : X0HEDESO0003297222, X0HEDESO0003471474) 1. सुनील कुमार डूबे (आवेदक) प्लॉट नंबर 16 एकएफ 35 पर्वतीय कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 2. सुनील कुमार डूबे (आवेदक) एच. नंबर 1008/43, गली 53, संजय कालोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 3. मंजू देवी (सह-आवेदक) प्लॉट नंबर 16 एकएफ 35 पर्वतीय कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 4. मंजू देवी (सह-आवेदक) एच. नंबर 1008/43, गली 53, संजय कालोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 5. एचएस इंडियनल सर्विसेज (इसके स्वामी सुनील कुमार डूबे के भाव्यम से) (सह-आवेदक) एच. नंबर 1008/43, गली 53, संजय कालोनी, सेक्टर-23, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 6. एचएस इंडियनल सर्विसेज (इसके स्वामी सुनील कुमार डूबे के भाव्यम से) (सह-आवेदक) प्लॉट नंबर 16 एकएफ 35 पर्वतीय कालोनी, फरीदाबाद, हरियाणा-121005 | 10-07-2024 | 26.10/26 / 03-07-2024 | प्लॉट नंबर 16, क्षेत्रफल परिमाण 20 वर्ग गज, खसरा नंबर 34//1//2, 2/1, 9/2, 25//22/1, 25//20/2, 21/1, 34//1/1, 25//22/2, 34//9/1, 21/2, स्थित : वाका मौजा ग्राम मोथी, जिला फरीदाबाद, चौहदरी निम्नानुसार – पूरव : 21 फीट रोड, पश्चिम : अन्य की संपत्ति, उत्तर : प्लॉट नंबर 17, दक्षिण : प्लॉट नंबर 15 | 28-11-2024 संवित्तिक |
| ऋण खाता सं. : X0HEDESO0001955153, X0HEDESO0002898321, X0HEDESO0001955087, H0E2DESO0000006423) शिव दयाल (आवेदक) 2. मेसर्स शिव दयाल (इसके स्वामी शिव दयाल के भाव्यम से) (सह-आवेदक) 3. गंगा देवी (सह-आवेदक) काका पता : मकान नंबर 125, गली नंबर 17, निगड जे.पी. पब्लिक स्कूल, संजय कालोनी, सेहतपुर, फरीदाबाद, हरियाणा-121001 | | 10-07-2024 | 41.19.105 / 03-07-2024 | संपत्ति के सभी अंग एवं खंड : संपत्ति मकान नंबर 125, परिमाण 133 वर्ग गज, गली नंबर 17, खेवट नंबर 291/251, खतोनी नंबर 404, एमएच नंबर 46, किला नंबर 19/1 (3-10), किला नंबर 22/2 (4-0), टीजा नंबर 49/3 (7-10), 8 (7-10), 13 (7-4), वाका मौजा अमनगढ़पुर, तहसील एवं जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121001, चौहदरी निम्नानुसार – पूरव : 20 फीट रोड, पश्चिम : 15 फीट रोड, उत्तर : सी दीन दयाल का मकान, दक्षिण : सुशी सोनिया का प्लॉट | 28-11-2024 संवित्तिक |

तिथि : 02-12-2024 स्थान : दिल्ली/एनसीआर

प्राधिकृत अधिकारी : चोलांमडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड

जनसत्ता | 2 दिसंबर, 2024 |

खबर कोना

घरों पर चढ़ान गिरने से पांच से स्रात लोगों के फंसे होने की आशंका

तिरुवनन्मलई, 1 दिसंबर (भाषा)।

तमिलनाडु के तिरुवनन्मलई जिले में भारी बारिश के बाद मशहूर अन्नामलाईयार पहाड़ी की निचली ढलानों पर स्थित कुछ घरों पर चढ़ान गिर जाने से वहां पांच से सात लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि अधिकारी राहत एवं बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। जिला अधिकारी डी भास्कर पांडियन और पुलिस अधीक्षक एम सुधाकर ने रविवार शाम घटनास्थल का निरीक्षण किया। अग्निशमन एवं बचाव सेवा के एक अधिकारी ने समाचार एजंसी को बताया कि पहाड़ी की निचली ढलान पर स्थित झोपड़ियों पर एक बड़ी चढ़ान गिर गई।



चेंगलपट्ट में रविवार को बाढ़ग्रस्त इलाके में निवासियों को राहत सामग्री प्रदान करता सेना का जवान।

हसीना पर हमले के मामले में खालिदा के बेटे समेत सभी आरोपी बरी

ढाका, 1 दिसंबर (भाषा)।

बांग्लादेश में ढाका उच्च न्यायालय ने रविवार को निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए 2004 में अवामी लीग की नेता शेख हसीना की रैली में हुए हथगोले से हमले के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और पूर्व राज्य मंत्री लुत्तोज्जमां बाबर सहित सभी 49 आरोपियों को बरी कर दिया। अटार्नी जनरल कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया और तारिक रहमान सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया। रहमान (57) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। ढाका के बंगबंधु एवेन्चु में अवामी लीग की रैली पर ग्रेनेड हमले के बाद दो मामले-एक हत्या का और दूसरा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे। इस हमले में 24 लोग मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हुए। न्यायमूर्ति एकेएम असदुज्जमां और न्यायमूर्ति सैयद इनायत हुसैन की पीठ ने मामले के सभी 49 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि मामलों में निचली अदालत का फैसला ‘अवैध’ था।

पुतिन ने रक्षा खर्च 28.3 फीसद से अधिक बढ़ाया

कीव, 1 दिसंबर (एपी)।

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बजट योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 2025 तक रक्षा खर्च को रेकार्ड स्तर तक बढ़ा दिया जाएगा। इस कदम को मास्को द्वारा युद्ध में यूक्रेन से बढ़त हासिल करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। रविवार को सरकारी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए बजट का लगभग 32.5 फीसद राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवंटित किया गया है, जो मौजूदा वर्ष के 28.3 फीसद से अधिक है। रूसी संसद के दोनों सदनों - स्टेट ड्यूमा और फेडरेशन काउंसिल - के सांसदों ने बजट योजनाओं को मंजूरी दे दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था।

त्रिपुरा के परिवहन मंत्री का आरोप, ट्रक चालक ने जानबूझकर मारी टक्कर बांग्लादेश में भारतीय बस पर किया गया हमला, यात्री सहमे

जसन्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने आरोप लगाया कि अगरतला से कोलकाता जा रही एक बस पर बांग्लादेश में हमला किया गया। उन्होंने बताया कि यह घटना बांग्लादेश के ब्राह्मणबारिया जिले के विश्व रोड पर हुई। ‘चौधरी ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर बस की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ‘त्रिपुरा से कोलकाता जा रही श्यामोली परिवहन बस पर बांग्लादेश के ब्राह्मणबारिया में विश्व रोड पर हमला किया गया। इस घटना से बस में सवार भारतीय यात्री सहम गए। बस अपनी लेन में चल रही थी, तभी एक ट्रक ने जानबूझकर उसे टक्कर मार दी। इस दौरान एक आटोरिक्शा बस के सामने आ गया और बस एवं आटोरिक्शा की टक्कर हो गई।

उन्होंने कहा, ‘इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बस में सवार भारतीय यात्रियों को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत विरोधी नारे भी लगाए और भारतीय यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मैं पड़ोसी देश के प्रशासन से भारतीय यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ।’

कोलकाता और अगरतला के बीच बसों का संचालन ढाका के रास्ते किया जाता है क्योंकि इससे सफर की दूरी आधी से भी कम हो जाती है। मुख्यमंत्री मणििक साहा ने कहा कि उन्हें बस पर हमले की सूचना मिली तथा वह इस बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश में हिन्दुओं को किस तरह उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।

निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई आज

जसन्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट दो दिसंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी, जिन्होंने अगस्त 2024 में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दो निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें भारत भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। सिंह ने दलील दी है कि प्रति

मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय मनमाना है और किसी भी डेटा पर आधारित नहीं है। शीर्ष अदालत ने 24 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग को कोई नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को आयोग के स्थायी वकील को प्रति देने की अनुमति दी ताकि इस मुद्दे

पर उसका रुख पता चल सके। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि मतदाताओं की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने से वंचित समूह चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि

किसी व्यक्ति को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में अधिक समय लेगेगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मतदान केंद्र पर लंबी कतारें और लंबे इंतजार से मतदाता वोट डालने से परहेज करेंगे।

घाटी के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा

कश्मीर में पारा शून्य से नीचे पहुंचा

उत्तर भारत में यूपी, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गिरा पारा *भोपाल* में शनिवार रात का तापमान आठ डिग्री तक पहुंच गया। पिछले 36 साल में नवंबर में यह सबसे कम तापमान रहा।

के कुछ अन्य स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर से नीचे पहुंच गई। शनिवार को हुई ताजा बर्फबारी के कारण घाटी में कई स्थानों पर बीती रात तापमान शून्य से नीचे चला गया। अधिक ऊंचाई पर स्थित श्रीनगर वायु स्टेशन घाटी में सबसे ठंडा स्थान रहा जहां पारा शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि

आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाएगा, आर्थिक एवं ऊर्जा क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का स्रोत होगा। भारत और यूरोपीय संघ ने आठ साल से अधिक के अंतराल के बाद जून 2022 में महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की, लेकिन कार्बन कर पर 27 देशों

आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाएगा, आर्थिक एवं ऊर्जा क्षेत्रों में सुरक्षा को बढ़ावा देगा तथा यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का स्रोत होगा। भारत और यूरोपीय संघ ने आठ साल से अधिक के अंतराल के बाद जून 2022 में महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते के लिए बातचीत फिर से शुरू की, लेकिन कार्बन कर पर 27 देशों

नई दिल्ली

देश/दुनिया

अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध की इच्छा एफबीआइ निदेशक पद के लिए ट्रंप की पसंद बने काश पटेल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) के निदेशक पद के लिए अपने निकट सहयोगी एवं विश्वासपात्र काश पटेल को नामित किया। यह चयन ट्रंप के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजंसियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही ट्रंप ने अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रतिशोध की इच्छा जताई है। ऐसे में इस पद के लिए पटेल का चयन मायने रखता है। पटेल के बारे में ट्रंप की घोषणा का अर्थ है कि मौजूदा एफबीआइ निदेशक क्रिस्टोफर रे को या तो इस्तीफा देना होगा या 20 जनवरी को ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।

ट्रंप ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ‘पटेल ने रूस के संबंध में फैलाए गए झूठ को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह सच्चाई, जवाबदेही एवं संविधान के समर्थक के रूप में खड़े रहे।’ ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा,

‘मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल एफबीआइ के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश एक बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और ‘अमेरिका को प्राथमिकता देने वाले’ योद्धा हैं, जिन्होंने अपने करिअर के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर किया और न्याय तथा अमेरिका के लोगों की रक्षा की।’

पटेल (44) ने 2017 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन के अंतिम कुछ हफ्तों में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के ‘चीफ आफ स्टाफ’ के रूप में काम किया था। ट्रंप ने कहा, ‘काश ने मेरे पहले कार्यकाल के दौरान

अभिधान

कारगिल में रविवार को जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का अभियान चलाते सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी।



अभिधान

कारगिल में रविवार को जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का अभियान चलाते सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी।

बोफोर्स मामले में जल्द अमेरिका को न्यायिक अनुरोध भेजेगा सीबीआइ

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) बोफोर्स मामले में निजी जासूस माइकल हर्शमैन से जानकारी मांगने के लिए जल्द ही अमेरिका को एक न्यायिक अनुरोध भेजेगा। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। हर्शमैन ने 1980 के दशक के 64 करोड़ रुपए के कथित बोफोर्स रिश्तत कांड के बारे में महत्त्वपूर्ण विवरण भारतीय एजंसियों के साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की थी।

सीबीआइ ने एक विशेष अदालत को भी इस घटनाक्रम के बारे में सूचित किया है, जो मामले में आगे की जांच के लिए एजंसी की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि ‘लेटर रोगेटरी’ (एलआर) भेजने की प्रक्रिया इस वर्ष अक्टूबर में शुरू की गई थी और अमेरिका को

महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य हैं। हम यूरोपीय संघ के स्तर पर भारत के साथ आगे की बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। भारत–फ्रांस व्यापार संबंधों पर फ्रांसीसी मंत्री ने कहा कि अब ध्यान आर्थिक जुड़ाव के विस्तार पर है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक क्षेत्र में पहले से ही एक मजबूत साझेदारी है। फ्रांसीसी विदेश व्यापार मंत्री ने 27 से 29 नवंबर तक भारत का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच अधिक निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने के तरीकों सहित कई मुद्दों पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि भारत एक तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और भारत में फ्रांसीसी निवेश के लिए व्यापक अवसर हैं। हम वैमानिकी, सतत विकास और उभरती प्रौद्योगिकियों में बड़ी संभावनाएं देखते हैं।

वाले यूरोपीय संघ के रुख सहित कई अन्य कारणों से बातचीत लंबी खिंच गई। प्राइमस ने समाचार एजंसी से कहा कि मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि यूरोपीय संघ के स्तर पर, हम यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक व्यापार समझौते तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद है और जिसके

नई दिल्ली

अपने विरोधियों के खिलाफ प्रतिशोध की इच्छा एफबीआइ निदेशक पद के लिए ट्रंप की पसंद बने काश पटेल

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 1 दिसंबर।

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआइ) के निदेशक पद के लिए अपने निकट सहयोगी एवं विश्वासपात्र काश पटेल को नामित किया। यह चयन ट्रंप के इस दृष्टिकोण के अनुरूप है कि सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजंसियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। साथ ही ट्रंप ने अपने विरोधियों के विरुद्ध प्रतिशोध की इच्छा जताई है। ऐसे में इस पद के लिए पटेल का चयन मायने रखता है। पटेल के बारे में ट्रंप की घोषणा का अर्थ है कि मौजूदा एफबीआइ निदेशक क्रिस्टोफर रे को या तो इस्तीफा देना होगा या 20 जनवरी को ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा।

ट्रंप ने शनिवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ‘पटेल ने रूस के संबंध में फैलाए गए झूठ को उजागर करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह सच्चाई, जवाबदेही एवं संविधान के समर्थक के रूप में खड़े रहे।’ ट्रंप ने अपने स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर कहा,

‘मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कश्यप काश पटेल एफबीआइ के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। काश एक बेहतरीन वकील, जांचकर्ता और ‘अमेरिका को प्राथमिकता देने वाले’ योद्धा हैं, जिन्होंने अपने करिअर के दौरान भ्रष्टाचार को उजागर किया और न्याय तथा अमेरिका के लोगों की रक्षा की।’

पटेल (44) ने 2017 में तत्कालीन ट्रंप प्रशासन के अंतिम कुछ हफ्तों में अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री के ‘चीफ आफ स्टाफ’ के रूप में काम किया था। ट्रंप ने कहा, ‘काश ने मेरे पहले कार्यकाल के दौरान

अभिधान

विश्व पटल पर भारत की उपस्थिति बढ़ रही है : ओम बिरला

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (ब्यूरो)।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कहा कि भारत निरंतर विकास और तकनीकी क्षमता के साथ अब अवसरों की धरती बन चुका है। आइटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों में भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर प्रमुख पदों पर आसीन हैं, जिससे विश्व पटल पर भारत की उपस्थिति बढ़ रही है। बिरला ने कहा कि सफलता और विफलता जीवन का हिस्सा हैं और हमें दोनों से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विफलता सीखने का अवसर होती है, और प्रत्येक असफलता हमें नए सपनों और लक्ष्यों के पास ले जाती है।



THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

RAJPUTANA BIODIESEL LIMITED



(Please scan this QR code to view the Prospectus)

Our Company was originally incorporated as "Rajputana Biodiesel Private Limited" a private limited company under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies ("ROC"). Jaipur pursuant to Certificate of Incorporation dated November 10th, 2016. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company and name of company was changed from "Rajputana Biodiesel Private Limited" to "Rajputana Biodiesel Limited" pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on May 13, 2024 and a fresh certificate of incorporation was issued by the Central Processing Centre, Manesar dated July 08th, 2024. The CIN of the Company is U74999RJ2016PLC056359. For further details please refer to the chapter titled "History and Corporate Structure" beginning on Page No. 118 of this Prospectus.

Registered Office: Jaipuria Mansion Panch Batti, M.I. Road, Jaipur, Rajasthan, India, 302001. Telephone: +91-9509222333; Email: cs@rajputanabiodiesel.com; Website: https://rajputanabiodiesel.com/

Contact Person: Rohit Kumar Gautam, Company Secretary and Compliance Officer. Corporate Identification Number: U74999RJ2016PLC056359

OUR PROMOTERS: SARTHAK SONI, MADHURI SURANA, SUDEEP SONI AND TANAY ATTAR

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFER OF 19,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF RAJPUTANA BIODIESEL LIMITED (THE "COMPANY" OR "RAJPUTANA" OR "RBDL" OR "ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 130/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 120/- PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 2,470.00 LACS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 1,41,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 130/- PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 183.30 LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E NET ISSUE OF 17,59,000 OF EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 130 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 2286.7 LACS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 27.01% AND 25.01% RESPECTIVELY OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹ 10/- AND ISSUE PRICE IS ₹ 130/-.

THE ISSUE PRICE IS 13.0 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE

ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: ₹ 130 PER EQUITY SHARE THE ISSUE PRICE IS 13.00 TIMES OF THE FACE VALUE

Risks to Investors:

- Our business is subject to government policies. If we fail to comply with the applicable regulations prescribed by governments and regulatory agencies, our business, results of operations and financial condition could be adversely affected.
- If we are not able to obtain, renew or maintain the statutory and regulatory permits and approvals required to operate our business it may have a material adverse effect on our business.
- We may face resistance to change from existing users of conventional fossil fuel.
- Our production is based on competitive bidding process by government authorities/bodies. We may not be able to qualify for, compete and win future projects, which could adversely affect our business and results of operations.
- The availability, quality and timely delivery of raw material is an important factor for our business, any fluctuation, delay or increase in cost in same may affect our business and prices.
- Our financial performance is dependent primarily on the sale of Biodiesel.
- Prices of bio-fuel might be more than non-renewable conventional fossil fuel. Moreover, decline in price of fossil fuel may affect the demand for bio-fuel.
- Absence of entry barriers into bio-fuel production may attract many players from both organized and unorganized sectors which will escalate competition and resultant price pressure on the products.
- Our top ten customers contribute majority of our revenues from operations. Any loss of business from one or more of them may adversely affect our revenues and profitability.

BID/ ISSUE PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS: MONDAY, NOVEMBER 25, 2024

BID/ ISSUE OPENED ON: TUESDAY, NOVEMBER 26, 2024 | BID/ ISSUE CLOSED ON: THURSDAY, NOVEMBER 28, 2024

The Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue shall be allocated on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion"), of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription, or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the Net QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Net Issue shall be available for allocation to Retail Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of RIBs using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors are not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see "Issue Procedure" beginning on page 184 of Prospectus.

The bidding for Anchor Investors opened and closed on November 25, 2024. The Company received 4 Anchor Investor Application Forms from 4 Anchor Investors (including Nil mutual funds through Nil Mutual Fund schemes) for 5,15,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at Rs. 130/- per Equity Share. A total of 5,15,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investor portion aggregating to Rs. 669.5 Lakhs.

The Issue (excluding Anchor Investors Portion) received 5,15,858 Applications for 13,85,000 Equity Shares (before technical rejections) resulting in 704.56 times subscription (including reserved portion of market maker). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under (before technical rejections):

Detail of the Applications Received:

| S. No. | Category | No. of Applications | No. of Equity Shares applied | Equity Shares Reserved as per Prospectus | No. of times Subscribed | Amount (In Rs.) |
|--------|---|---------------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| 1. | Retail-Individual Investors | 472410 | 47,24,61,000 | 6,29,000 | 751,130,3657 | 61,41,04,92,000 |
| 2. | Non-Institutional Investors | 43377 | 36,50,24,000 | 2,70,000 | 1351,940,741 | 47,45,10,80,000 |
| 3. | Market Maker | 1 | 1,41,000 | 1,41,000 | 1 | 1,83,30,000 |
| 4. | Qualified Institutional Buyers (Excluding Anchor Investors) | 70 | 6,11,16,000 | 3,45,000 | 177,147,8261 | 7,94,50,80,000 |
| 5. | Anchor Investors | 4 | 8,18,000 | 5,15,000 | 1,588,349,515 | 106,34,00,000 |
| | Total | 515862 | 89,95,60,000 | 19,00,000 | 197.35 | 1169,31,30,2000 |

Final Demand

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

| Bid Price | No Of Equity Shares | % of Total | Cumulative Total | Cumulative % of Total |
|-------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|
| 123 | 658000 | 0.07 | 658000 | 0.07 |
| 124 | 48000 | 0.00 | 706000 | 0.07 |
| 125 | 216000 | 0.02 | 922000 | 0.09 |
| 126 | 96000 | 0.01 | 1018000 | 0.10 |
| 127 | 116000 | 0.01 | 1134000 | 0.12 |
| 128 | 313000 | 0.03 | 1447000 | 0.15 |
| 129 | 350000 | 0.04 | 1797000 | 0.18 |
| 130 | 642078000 | 65.80 | 643875000 | 65.98 |
| Cutoff Price(130) | 331945000 | 34.02 | 975820000 | 100.00 |
| Total | 975820000 | 100 | | |

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being National Stock Exchange of India Limited on November 29, 2024.

1) Allotment to Retail Individual Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 130/- per Equity Share, was finalized in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The category has been subscribed to the extent of 745.91 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 6,29,000 Equity Shares to 4,69,180 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

| No. of Shares Applied for (Category Wise) | No. of application received | % of Total | Total No. of shares applied | % of Total | No. of Equity Shares Allotted per Applicant | Ratio | Total No. of Shares Allotted |
|---|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---|------------|------------------------------|
| Retail Individual Investor | 4,69,180 | 100 | 46,91,80,000 | 100 | 1000 | 629:469180 | 6,29,000 |

2) Allotment to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 130/- per Equity Share, was finalized in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The category has been subscribed to the extent of 1335.06 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 42,75,000 Equity Shares to 42,765 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

| Sr. No. | No. of Shares applied for (Category Wise) | Number of applications received | % to Total | Total No. of Shares applied in each category | % to Total | Proportionate shares available | Allocation per Applicant | | Ratio of allottees to applicants | Number of Successful applicants (after rounding off) | % to Total | Total No. of Shares allocated/ allotted | % to Total | Surplus/ Deficit (7)-(14) | |
|---------|---|---------------------------------|------------|--|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--|------------|---|------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | Before rounding off | After rounding off | | | | | | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
| 1 | 2000 | 18842 | 44.43 | 37684000 | 10.45 | 28226.38 | 1 | 1000 | 14 | 9421 | 28 | 10.37 | 28000 | 10.37 | -226 |
| 2 | 3000 | 3602 | 8.48 | 10806000 | 2.99 | 8094 | 2 | 1000 | 4 | 1801 | 8 | 2.96 | 8000 | 2.96 | -94 |
| 3 | 4000 | 1072 | 2.51 | 4288000 | 1.18 | 3211.83 | 3 | 1000 | 3 | 1072 | 3 | 1.11 | 3000 | 1.11 | -212 |
| 4 | 5000 | 1189 | 2.78 | 5945000 | 1.64 | 4452.97 | 4 | 1000 | 5 | 1189 | 5 | 1.85 | 5000 | 1.85 | 547 |
| 5 | 6000 | 1336 | 3.12 | 8016000 | 2.22 | 6004.21 | 4 | 1000 | 3 | 668 | 6 | 2.22 | 6000 | 2.22 | -4 |
| 6 | 7000 | 4923 | 11.51 | 34461000 | 9.56 | 25812.27 | 5 | 1000 | 26 | 4923 | 26 | 9.63 | 26000 | 9.62 | 188 |
| 7 | 8000 | 5757 | 13.46 | 46056000 | 12.77 | 34497.25 | 6 | 1000 | 35 | 5757 | 35 | 12.96 | 35000 | 12.96 | 503 |
| 8 | 9000 | 955 | 2.23 | 8595000 | 2.38 | 6437.9 | 7 | 1000 | 7 | 955 | 7 | 2.59 | 7000 | 2.59 | 562 |
| 9 | 10000 | 1266 | 2.96 | 12660000 | 3.51 | 9482.7 | 7 | 1000 | 5 | 633 | 10 | 3.7 | 10000 | 3.7 | 517 |
| 10 | 11000 | 331 | 0.77 | 3641000 | 1.01 | 2727.21 | 8 | 1000 | 3 | 331 | 3 | 1.11 | 3000 | 1.11 | 273 |
| 11 | 12000 | 202 | 0.47 | 2424000 | 0.67 | 1815.64 | 9 | 1000 | 1 | 101 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 184 |
| 12 | 13000 | 180 | 0.42 | 2340000 | 0.64 | 1752.73 | 10 | 1000 | 1 | 90 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 247 |
| 13 | 14000 | 176 | 0.41 | 2464000 | 0.68 | 1845.61 | 10 | 1000 | 1 | 88 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 154 |
| 14 | 15000 | 386 | 0.9 | 5790000 | 1.6 | 4336.87 | 11 | 1000 | 2 | 193 | 4 | 1.48 | 4000 | 1.48 | -337 |
| 15 | 16000 | 201 | 0.47 | 3216000 | 0.89 | 2408.88 | 12 | 1000 | 2 | 201 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | -409 |
| 16 | 17000 | 106 | 0.25 | 1802000 | 0.49 | 1349.75 | 13 | 1000 | 1 | 106 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -350 |
| 17 | 18000 | 132 | 0.31 | 2376000 | 0.65 | 1779.69 | 13 | 1000 | 1 | 66 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 220 |
| 18 | 19000 | 104 | 0.24 | 1976000 | 0.54 | 1480.08 | 14 | 1000 | 1 | 52 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 520 |
| 19 | 20000 | 225 | 0.53 | 4500000 | 1.24 | 3370.63 | 15 | 1000 | 1 | 75 | 3 | 1.11 | 3000 | 1.11 | -371 |
| 20 | 21000 | 71 | 0.17 | 1491000 | 0.41 | 1116.8 | 16 | 1000 | 1 | 71 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -117 |
| 21 | 22000 | 57 | 0.13 | 1254000 | 0.34 | 939.28 | 16 | 1000 | 1 | 57 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 61 |
| 22 | 23000 | 83 | 0.19 | 1909000 | 0.52 | 1429.9 | 17 | 1000 | 2 | 83 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 570 |
| 23 | 24000 | 80 | 0.19 | 1920000 | 0.53 | 1438.13 | 18 | 1000 | 1 | 40 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 562 |
| 24 | 25000 | 102 | 0.24 | 2550000 | 0.7 | 1910.02 | 19 | 1000 | 1 | 51 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 90 |
| 25 | 26000 | 31 | 0.07 | 806000 | 0.22 | 603.72 | 19 | 1000 | 1 | 31 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 396 |
| 26 | 27000 | 37 | 0.09 | 999000 | 0.27 | 748.28 | 20 | 1000 | 1 | 37 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 252 |
| 27 | 28000 | 29 | 0.07 | 812000 | 0.22 | 608.21 | 21 | 1000 | 1 | 29 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 392 |
| 28 | 29000 | 20 | 0.05 | 580000 | 0.16 | 434.44 | 22 | 1000 | 1 | 20 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 566 |
| 29 | 30000 | 89 | 0.21 | 2670000 | 0.74 | 1999.91 | 22 | 1000 | 2 | 89 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 0 |
| 30 | 31000 | 33 | 0.08 | 1023000 | 0.28 | 766.26 | 23 | 1000 | 1 | 33 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 234 |
| 31 | 32000 | 22 | 0.05 | 704000 | 0.19 | 527.32 | 24 | 1000 | 1 | 22 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 473 |
| 32 | 33000 | 10 | 0.02 | 330000 | 0.09 | 247.18 | 25 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -247 |
| 33 | 34000 | 15 | 0.04 | 510000 | 0.14 | 382 | 25 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -382 |
| 34 | 35000 | 27 | 0.06 | 945000 | 0.26 | 707.83 | 26 | 1000 | 1 | 27 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 292 |
| 35 | 36000 | 38 | 0.09 | 1368000 | 0.37 | 1024.67 | 27 | 1000 | 1 | 38 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -25 |
| 36 | 37000 | 28 | 0.07 | 1036000 | 0.28 | 775.99 | 28 | 1000 | 1 | 28 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 224 |
| 37 | 38000 | 44 | 0.1 | 1672000 | 0.46 | 1252.38 | 28 | 1000 | 1 | 44 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -252 |
| 38 | 39000 | 33 | 0.08 | 1287000 | 0.35 | 964 | 29 | 1000 | 1 | 33 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 36 |
| 39 | 40000 | 65 | 0.15 | 2600000 | 0.72 | 1947.47 | 30 | 1000 | 2 | 65 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 53 |
| 40 | 41000 | 10 | 0.02 | 410000 | 0.11 | 307.1 | 31 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307 |
| 41 | 42000 | 14 | 0.03 | 588000 | 0.16 | 440.43 | 31 | 1000 | 1 | 14 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 560 |
| 42 | 43000 | 14 | 0.03 | 602000 | 0.16 | 450.92 | 32 | 1000 | 1 | 14 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 549 |
| 43 | 44000 | 6 | 0.01 | 264000 | 0.07 | 197.74 | 33 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 |

Continued on next page...

...continued from previous page.

| Sr. No. | No. of Shares applied for (Category Wise) | Number of applications received | % to Total | Total No. of Shares applied in each category | % to Total | Proportionate shares available | Allocation per Applicant | Ratio of allottees to applicants | Number of Successful applicants (after rounding off) | % to Total | Total No. of Shares allocated/ allotted | % to Total | Surplus/ Deficit (7)-(14) | | |
|---------|---|---------------------------------|------------|--|------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|------------|---|------------|---------------------------|------|------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
| 139 | 160000 | 4 | 0.01 | 640000 | 0.17 | 479.38 | 120 | 1000 | 1 | 4 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 521 |
| 140 | 161000 | 2 | 0 | 322000 | 0.08 | 241.19 | 121 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241 |
| 141 | 163000 | 2 | 0 | 326000 | 0.09 | 244.18 | 122 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -244 |
| 142 | 165000 | 1 | 0 | 165000 | 0.04 | 123.59 | 124 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124 |
| 143 | 170000 | 1 | 0 | 170000 | 0.04 | 127.33 | 127 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -127 |
| 144 | 173000 | 1 | 0 | 173000 | 0.04 | 129.58 | 130 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 |
| 145 | 177000 | 1 | 0 | 177000 | 0.04 | 132.58 | 133 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 |
| 146 | 178000 | 1 | 0 | 178000 | 0.04 | 133.33 | 133 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133 |
| 147 | 180000 | 1 | 0 | 180000 | 0.04 | 134.83 | 135 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135 |
| 148 | 183000 | 1 | 0 | 183000 | 0.05 | 137.07 | 137 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137 |
| 149 | 184000 | 3 | 0.01 | 552000 | 0.15 | 413.46 | 138 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -413 |
| 150 | 185000 | 1 | 0 | 185000 | 0.05 | 138.57 | 139 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -139 |
| 151 | 187000 | 1 | 0 | 187000 | 0.05 | 140.07 | 140 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 |
| 152 | 189000 | 2 | 0 | 378000 | 0.1 | 283.13 | 142 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283 |
| 153 | 190000 | 1 | 0 | 190000 | 0.05 | 142.32 | 142 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142 |
| 154 | 192000 | 2 | 0 | 384000 | 0.1 | 287.63 | 144 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288 |
| 155 | 193000 | 2 | 0 | 386000 | 0.1 | 289.12 | 145 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289 |
| 156 | 198000 | 1 | 0 | 198000 | 0.05 | 148.31 | 148 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -148 |
| 157 | 200000 | 8 | 0.02 | 1600000 | 0.44 | 1198.45 | 150 | 1000 | 1 | 8 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -198 |
| 158 | 202000 | 2 | 0 | 404000 | 0.11 | 302.61 | 151 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303 |
| 159 | 205000 | 1 | 0 | 205000 | 0.05 | 153.55 | 154 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 |
| 160 | 206000 | 1 | 0 | 206000 | 0.05 | 154.3 | 154 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -154 |
| 161 | 212000 | 1 | 0 | 212000 | 0.05 | 158.79 | 159 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 |
| 162 | 215000 | 2 | 0 | 430000 | 0.11 | 322.08 | 161 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322 |
| 163 | 220000 | 4 | 0.01 | 880000 | 0.24 | 659.14 | 165 | 1000 | 1 | 4 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 341 |
| 164 | 221000 | 1 | 0 | 221000 | 0.06 | 165.54 | 166 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166 |
| 165 | 223000 | 1 | 0 | 223000 | 0.06 | 167.03 | 167 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -167 |
| 166 | 227000 | 1 | 0 | 227000 | 0.06 | 170.03 | 170 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170 |
| 167 | 230000 | 2 | 0 | 460000 | 0.12 | 344.55 | 172 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345 |
| 168 | 231000 | 4 | 0.01 | 924000 | 0.25 | 692.1 | 173 | 1000 | 1 | 4 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 308 |
| 169 | 232000 | 1 | 0 | 232000 | 0.06 | 173.77 | 174 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174 |
| 170 | 233000 | 1 | 0 | 233000 | 0.06 | 174.52 | 175 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 |
| 171 | 238000 | 1 | 0 | 238000 | 0.06 | 178.27 | 178 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178 |
| 172 | 240000 | 1 | 0 | 240000 | 0.06 | 179.77 | 180 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180 |
| 173 | 241000 | 1 | 0 | 241000 | 0.06 | 180.52 | 181 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181 |
| 174 | 248000 | 3 | 0.01 | 744000 | 0.2 | 557.28 | 186 | 1000 | 1 | 3 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 443 |
| 175 | 250000 | 1 | 0 | 250000 | 0.06 | 187.26 | 187 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -187 |
| 176 | 252000 | 1 | 0 | 252000 | 0.06 | 188.76 | 189 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189 |
| 177 | 258000 | 1 | 0 | 258000 | 0.07 | 193.25 | 193 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -193 |
| 178 | 261000 | 1 | 0 | 261000 | 0.07 | 195.5 | 196 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 |
| 179 | 270000 | 1 | 0 | 270000 | 0.07 | 202.24 | 202 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -202 |
| 180 | 271000 | 3 | 0.01 | 813000 | 0.22 | 608.96 | 203 | 1000 | 1 | 3 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 391 |
| 181 | 274000 | 1 | 0 | 274000 | 0.07 | 205.23 | 205 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205 |
| 182 | 275000 | 1 | 0 | 275000 | 0.07 | 205.98 | 206 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206 |
| 183 | 292000 | 1 | 0 | 292000 | 0.08 | 218.72 | 219 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -219 |
| 184 | 300000 | 1 | 0 | 300000 | 0.08 | 224.71 | 225 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 |
| 185 | 301000 | 1 | 0 | 301000 | 0.08 | 225.46 | 225 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 |
| 186 | 302000 | 1 | 0 | 302000 | 0.08 | 226.21 | 226 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226 |
| 187 | 310000 | 1 | 0 | 310000 | 0.08 | 232.2 | 232 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 |
| 188 | 321000 | 1 | 0 | 321000 | 0.08 | 240.44 | 240 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -240 |
| 189 | 322000 | 1 | 0 | 322000 | 0.08 | 241.19 | 241 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241 |
| 190 | 325000 | 1 | 0 | 325000 | 0.09 | 243.43 | 243 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -243 |
| 191 | 327000 | 1 | 0 | 327000 | 0.09 | 244.93 | 245 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -245 |
| 192 | 331000 | 1 | 0 | 331000 | 0.09 | 247.93 | 248 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248 |
| 193 | 333000 | 1 | 0 | 333000 | 0.09 | 249.43 | 249 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 |
| 194 | 338000 | 3 | 0.01 | 1014000 | 0.28 | 759.51 | 253 | 1000 | 1 | 3 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 240 |
| 195 | 346000 | 1 | 0 | 346000 | 0.09 | 259.16 | 259 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259 |
| 196 | 358000 | 1 | 0 | 358000 | 0.09 | 268.15 | 268 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -268 |
| 197 | 360000 | 1 | 0 | 360000 | 0.09 | 269.65 | 270 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270 |
| 198 | 367000 | 1 | 0 | 367000 | 0.1 | 274.89 | 275 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275 |
| 199 | 369000 | 1 | 0 | 369000 | 0.1 | 276.39 | 276 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276 |
| 200 | 383000 | 2 | 0 | 766000 | 0.21 | 573.76 | 287 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 426 |
| 201 | 384000 | 1 | 0 | 384000 | 0.1 | 287.63 | 288 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -288 |
| 202 | 387000 | 1 | 0 | 387000 | 0.1 | 289.87 | 290 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -290 |
| 203 | 396000 | 1 | 0 | 396000 | 0.1 | 296.62 | 297 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -297 |
| 204 | 397000 | 2 | 0 | 794000 | 0.22 | 594.73 | 297 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 405 |
| 205 | 399000 | 1 | 0 | 399000 | 0.11 | 298.86 | 299 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -299 |
| 206 | 400000 | 1 | 0 | 400000 | 0.11 | 299.61 | 300 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 207 | 401000 | 1 | 0 | 401000 | 0.11 | 300.36 | 300 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 |
| 208 | 403000 | 1 | 0 | 403000 | 0.11 | 301.86 | 302 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 |
| 209 | 404000 | 1 | 0 | 404000 | 0.11 | 302.61 | 303 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303 |
| 210 | 418000 | 1 | 0 | 418000 | 0.11 | 313.09 | 313 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -313 |
| 211 | 419000 | | | | | | | | | | | | | | |

| Sr. No. | No. of Shares applied for (Category Wise) | Number of applications received | % to Total | Total No. of Shares applied in each category | % to Total | Proportionate shares available | Allocation per Applicant | | Ratio of allottees to applicants | Number of Successful applicants (after rounding off) | % to Total | Total No. of Shares allocated/ allotted | % to Total | Surplus/ Deficit (7)-(14) | |
|-------------|---|---------------------------------|------------|--|------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--|------------|---|------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | Before rounding off | After rounding off | | | | | | | |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | (8) | (9) | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
| 226 | 542000 | 1 | 0 | 542000 | 0.15 | 405.97 | 406 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -406 |
| 227 | 552000 | 1 | 0 | 552000 | 0.15 | 413.46 | 413 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 587 |
| 228 | 556000 | 1 | 0 | 556000 | 0.15 | 416.46 | 416 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 584 |
| 229 | 560000 | 1 | 0 | 560000 | 0.15 | 419.46 | 419 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 581 |
| 230 | 568000 | 1 | 0 | 568000 | 0.15 | 425.45 | 425 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 575 |
| 231 | 596000 | 1 | 0 | 596000 | 0.16 | 446.42 | 446 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 554 |
| 232 | 600000 | 1 | 0 | 600000 | 0.16 | 449.42 | 449 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 551 |
| 233 | 611000 | 2 | 0 | 1222000 | 0.33 | 915.31 | 458 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 85 |
| 234 | 615000 | 2 | 0 | 1230000 | 0.34 | 921.3 | 461 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 79 |
| 235 | 636000 | 1 | 0 | 636000 | 0.17 | 476.38 | 476 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 524 |
| 236 | 651000 | 1 | 0 | 651000 | 0.18 | 487.62 | 488 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 512 |
| 237 | 654000 | 1 | 0 | 654000 | 0.18 | 489.86 | 490 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 510 |
| 238 | 660000 | 1 | 0 | 660000 | 0.18 | 494.36 | 494 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 506 |
| 239 | 665000 | 1 | 0 | 665000 | 0.18 | 498.1 | 498 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 502 |
| 240 | 671000 | 1 | 0 | 671000 | 0.18 | 502.6 | 503 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 497 |
| 241 | 688000 | 1 | 0 | 688000 | 0.19 | 515.33 | 515 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 485 |
| 242 | 700000 | 2 | 0 | 1400000 | 0.38 | 1048.64 | 524 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -49 |
| 243 | 711000 | 1 | 0 | 711000 | 0.19 | 532.56 | 533 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 467 |
| 244 | 717000 | 1 | 0 | 717000 | 0.19 | 537.05 | 537 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 463 |
| 245 | 723000 | 1 | 0 | 723000 | 0.2 | 541.55 | 542 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 458 |
| 246 | 742000 | 1 | 0 | 742000 | 0.2 | 555.78 | 556 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 444 |
| 247 | 771000 | 1 | 0 | 771000 | 0.21 | 577.5 | 578 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 422 |
| 248 | 773000 | 1 | 0 | 773000 | 0.21 | 579 | 579 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 421 |
| 249 | 777000 | 1 | 0 | 777000 | 0.21 | 582 | 582 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 418 |
| 250 | 800000 | 3 | 0.01 | 2400000 | 0.66 | 1797.67 | 599 | 1000 | 2 | 3 | 2 | 0.74 | 2000 | 0.74 | 202 |
| 251 | 808000 | 1 | 0 | 808000 | 0.22 | 605.21 | 605 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 395 |
| 252 | 823000 | 1 | 0 | 823000 | 0.22 | 616.45 | 616 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 384 |
| 253 | 825000 | 1 | 0 | 825000 | 0.22 | 617.95 | 618 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 382 |
| 254 | 846000 | 1 | 0 | 846000 | 0.23 | 633.68 | 634 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 366 |
| 255 | 854000 | 1 | 0 | 854000 | 0.23 | 639.67 | 640 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 360 |
| 256 | 867000 | 1 | 0 | 867000 | 0.24 | 649.41 | 649 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 351 |
| 257 | 882000 | 1 | 0 | 882000 | 0.24 | 660.64 | 661 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 339 |
| 258 | 885000 | 1 | 0 | 885000 | 0.24 | 662.89 | 663 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 337 |
| 259 | 891000 | 2 | 0 | 1782000 | 0.49 | 1334.77 | 667 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -335 |
| 260 | 892000 | 1 | 0 | 892000 | 0.24 | 668.13 | 668 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 332 |
| 261 | 896000 | 2 | 0 | 1792000 | 0.49 | 1342.26 | 671 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -342 |
| 262 | 897000 | 2 | 0 | 1794000 | 0.49 | 1343.76 | 672 | 1000 | 1 | 2 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | -344 |
| 263 | 898000 | 1 | 0 | 898000 | 0.24 | 672.63 | 673 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0.37 | 1000 | 0.37 | 327 |
| 264 | 899000 | 16 | 0.04 | 14384000 | 3.99 | 10774.02 | 673 | 1000 | 11 | 16 | 11 | 1.14 | 11000 | 4.07 | 226 |
| GRAND TOTAL | 42765 | 100 | 100 | 360467000 | 100 | 270006 | | | | | 100 | 270000 | 100 | | -6 |

